भण्डारण भारती

अंक–64

भण्डारण विशेषांक

केन्द्रीय भण्डारण निगम

जन–जन के लिए भंडारण

गुणवत्ता नीति

केन्द्रीय भण्डारण निगम ग्राहक हितैषी, सक्षम एवं पारदर्शी प्रणालियों द्वारा विश्व स्तरीय भण्डारण एवं लॉजिस्टिक सेवाएं मुहैया कराने हेतु वचनबद्ध है। हम भण्डारण एवं लॉजिस्टिक के क्षेत्र में गुणवत्ता अग्रणी बनने के लिए निरन्तर सुधार के प्रयास करते रहेंगे।

पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ईएचएस) नीति

केन्द्रीय भण्डारण निगम सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य-वातावरण सुनिश्चित करने तथा पर्यावरणीय सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी सभी गतिविधियाँ चलाने के लिए वचनबद्ध है।

अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने लिए निगम ने आई.एस.ओ 14001:2004 एवं ओ.एच. एस.ए. एस. 18001:2007 की व्यवस्थित एवं सक्रिय प्रबन्धान पद्धतियाँ लागू की है तथा निम्नलिखित के लिए कार्य करेगा:-

- इस संबंध में लागू कानूनी एवं अन्य अपेक्षाओं को पूरा करना।
- पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना एवं इस संबंध में आवश्यक नियंत्रण लागू करना।
- अपनी गतिविधियों में प्रदूषण को समाप्त/न्यूनतम स्तर पर रखते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और प्राकृतिक संसाधनो को प्रभावी उपयोग करना।
- पर्यावरण, सवास्थ्य और सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रभावकारी नियंत्रण के निष्पादन पर निगरानी रखना।
- पर्यावरण, स्वास्थ और सुरक्षा उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में निरन्तर सुधार सुनिश्चित करना।
- 'काइज़न' की प्रक्रिया द्वारा पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विषय में सभी संबंधितों को शिक्षित करना तथा जागरूकता पैदा करना।

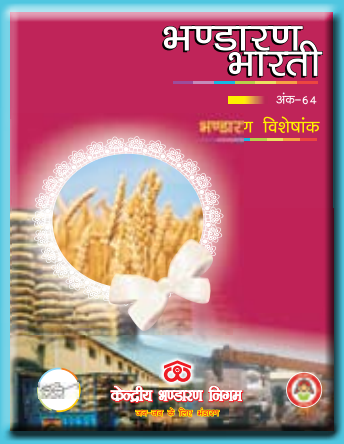

भण्डारण भारती

त्रैमासिक पत्रिका 	अंक-64

जनवरी-मार्च, 2017

मुख्य संरक्षक
हरप्रीत सिंह
प्रबंध निदेशक

संरक्षक
जे.एस. कौशल
निदेशक (कार्मिक)

परामर्शदाता
पी.के. साव
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

मुख्य संपादक
नम्रता बजाज
प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक
महिमानन्द भट्ट
वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (राजभाषा)

सहायक संपादक
एस.पी. तिवारी

संपादन सहयोग
नीलम खुराना, विजयपाल सिंह,
शशि बाला

केंद्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास,
नई दिल्ली-110016

यह पत्रिका निगम की वेबसाइट
www.cewacor.nic.in
पर भी उपलब्ध है।

मुद्रकः चन्दु प्रैस
डी-97, शकरपुर, दिल्ली-92
दूरभाषः 22526936

विषय	पृष्ठ संख्या
✦ प्रबंध निदेशक की कलम से...	3
✦ निदेशक (कार्मिक) की ओर से...	4
✦ सम्पादकीय	5
भंडारण विशेष आलेख	
○ खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डारण... -आई.सी. चड्ढा	6
○ देश में सार्वजनिक भंडारण के प्रारम्भ...	12
○ भंडारण का इतिहास एवं जन-जन के लिए... -महिमानन्द भट्ट	14
○ केन्द्रीय भंडारण निगम की आईजीएमआरआई, हापुड	17
○ प्रौद्योगिकीकरणः अनिवार्यता, प्रतिबद्धता एवं विविधता -एस. नारायण	18
○ भंडारण एक सामाजिक आवश्यकता -सच्चिदानन्द राय	26
○ निगम द्वारा कीटनाशन एवं पैस्ट नियंत्रण सेवाएं	36
○ लॉजिस्टिक्स एवं संबंधित गतिविधियां- एक विवेचन -रणधीर सिंह	43
○ लक्ष्य एवं दूरदर्शिता से निगम के बढ़ते कदम... -हरिमोहन	46
○ पैस्ट कन्ट्रोल ऑपरेशन के पश्चात ग्राहकों...	47
क्षेत्रीय कार्यालय-एक परिचय	
➢ क्षेत्रीय कार्यालय- हैदराबाद एवं भोपाल	31
कविताएं	
✪ बदलते मूल्य -डॉ. मीना राजपूत	23
✪ मेरे खुदा -राजीव शर्मा	23
✪ जी लें जरा -राकेश कुमार	30
✪ किसान के पसीने का आकलन -अरविन्द मिश्र	35
✪ कहीं फिर ना खो जाऊं भीड़ में -स्नेह लता मिश्रा	47
✪ सैन्ट्रल वेअरहाउस हमारा -उमेश जाखड़	50
साहित्यिकी	
▸ ठेस (कहानी)- फणीश्वरनाथ रेणु	27
विविध आलेख	
▲ कौशल भारत-कुशल भारत -नम्रता बजाज	21
▲ सतर्कता का महत्व एवं क्रियान्वयन -सत्यपाल सिंह राठौर	44
▲ अनुवाद की प्रासंगिकता, समस्याएं और समाधान -राकेश सिंह परस्ते	48
अन्य गतिविधियां	
✶ सचित्र गतिविधियां	37
✶ खेल गतिविधि	42

संपादक मंडल का लेखकों के विचारों से सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम

लक्ष्य, दूरदर्शिता एवं उद्देश्य

लक्ष्य

सामाजिक दायित्वपूर्ण एवं पर्यावरण-अनुकूल ढंग से विश्वसनीय, किफायती, मूल्य संवर्द्धक तथा एकीकृत भण्डारण एवं लॉजिस्टिक्स समाधान सुलभ कराना।

दूरदर्शिता

हितधारी की संतुष्टि पर बल देते हुए भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के सम्बल के रूप में एकीकृत भण्डारण अवसंरचना एवं अन्य लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार के एक अग्रणी संसाधक के रूप में खड़ा होना।

उद्देश्य

- वैज्ञानिक भण्डारण एवं संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए कृषि, उद्योग, व्यापार व अन्य क्षेत्रों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- भण्डारण, हैण्डलिंग एवं वितरण के दौरान होने वाली हानियों को कम करना।
- पर्यावरण अनुकूल विधियां प्रयोग करते हुए पैस्ट नियंत्रण सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाना।
- बैंकिंग संस्थाओं एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के माध्यम से भण्डारित वस्तुओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भण्डारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- पोर्ट हैण्डलिंग, प्रापण एवं वितरण, कोल्ड चेन, भण्डारण वित्त पोषण, 3 पी.एल., परामर्शी सेवाएं, मल्टी मॉडल परिवहन जैसे क्षेत्रों में फारवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन द्वारा लॉजिस्टिक्स वेल्यू चेन की योजना बनाना और विविधता लाना।
- भण्डारण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वैश्विक उपस्थिति दर्ज करना।
- ग्राहक संतुष्टि हेतु कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, अभिप्रेरणा तथा उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास कार्यक्रम की योजना बनाना तथा क्रियान्वित करना।

प्रबंध निदेशक की कलम से...

किसी संगठन की सेवाओं और कार्यकलापों की जानकारी पत्रिका के माध्यम से जन–समुदाय तक पहुँचाना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि निगम द्वारा प्रत्येक तिमाही निरंतर रूप से 'भंडारण भारती' पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है और यह अंक 'भंडारण विशेषांक' के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

निगम पिछले कुछ वर्षों से अपनी कार्यप्रणाली एवं अन्य गतिविधियों की झलक प्रस्तुत करते हुए स्थापना दिवस मना रहा है जिसका उद्देश्य है– 'भंडारण के क्षेत्र में किए गए अब तक के कार्यों की समीक्षा एवं भविष्य की योजनाओं को कार्यान्वित करने की दिशा में पहल किया जाना'। इस विशेष दिवस पर निगम में कार्यरत सभी कार्मिकों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने अनुभवों के आधार पर निगम की सेवाओं के लिए निष्ठा एवं तत्परता से कार्य करते हुए अपना योगदान दें।

निगम वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराते हुए कृषि, व्यापार, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा पर्यावरण अनुकूल विधियों के साथ पैस्ट नियंत्रण सेवाओं में प्रमुख भूमिका निभाते हुए राजस्व अर्जित कर रहा है। परिवर्तन के इस दौर में कारोबार को आगे बढ़ाते हुए हमें ऐसी कार्यप्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे कम लागत पर अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। एक कारोबारी संगठन होने के साथ–साथ हमें विभिन्न जमाकर्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखकर भंडारण की विभिन्न योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है तथा सामाजिक दायित्वों के प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करना है। इसके अतिरिक्त, गणतंत्र दिवस के अवसर पर निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, निर्माण खण्डों के लिए ऑन–लाइन पेरोल तथा सीपीएफ ऑटोमेशन एप्लीकेशन की भी शुरूआत की गई जिससे निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पेरोल तथा सीपीएफ के बारे में तत्काल जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सके।

अपनी मुख्य व्यापारिक गतिविधियों के साथ–साथ निगम सरकार की राजभाषा नीति एवं नियमों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठता से प्रयासरत है। राजभाषा शिक्षण, अखिल भारतीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला एवं प्रतियोगिताओं आदि के द्वारा राजभाषा को प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना से आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं।

इस पत्रिका में भंडारण के विषयों को समेकित करते हुए महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाशित की गई है जो न केवल निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए उपयोगी होगी बल्कि इससे अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों को भी भंडारण से संबंधित जानकारी मिलेगी। मुझे विश्वास है कि निगम अपने उद्देश्यों के अनुरूप समर्पित भाव से अपने कर्तव्यों को निभाने में सदैव तत्पर रहेगा।

(हरप्रीत सिंह)
प्रबंध निदेशक

निदेशक (कार्मिक) की ओर से...

केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा पिछले कई वर्षों से 'भंडारण भारती' त्रैमासिक पत्रिका का नियमित एवं उत्कृष्ट प्रकाशन किया जाना सभी के लिए प्रसन्नता की बात है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की अपेक्षाओं के अनुरूप राजभाषा के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए निगम अपने मुख्य व्यवसाय भंडारण की सेवाओं एवं उससे संबंधित जानकारियों और सूचनाओं को इस पत्रिका के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस उद्देश्य को साथ लेकर चलते हुए यह अंक 'भंडारण विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

समय की आवश्यकता को देखते हुए निगम मानव संसाधन विकास गतिविधियों पर भी विशेष बल दे रहा है, इसके लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित कर नए कार्मिकों की एक कुशल टीम गठित की जा रही है, क्योंकि कुशल कार्मिक ही किसी संगठन के लिए कुछ कर दिखाने की क्षमता रख सकते हैं। निगम अपनी विभिन्न गतिविधियों में निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी निरंतर जागरूक रहता है।

यह सभी जानते हैं कि इस त्रैमासिक पत्रिका के माध्यम से राजभाषा एवं अन्य गतिविधियों को एक मंच प्रदान किया गया है। आज इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अत्यन्त आधुनिक, व्यावहारिक एवं सकारात्मक कदम की ओर आगे बढ़ते हुए निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नई तकनीक का प्रयोग करते हुए निरन्तर आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए जो निगम तथा उनके अपने व्यक्तिगत हित के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। निगम में नए भर्ती हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे नई प्रौद्योगिकी के साथ जुड़कर अपने कार्यों में नयापन लाते हुए उसमें गति प्रदान करें ताकि निगम अपने उद्देश्यों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर नए मुकाम पर पहुँच सके।

इस विशेषांक के प्रकाशन की सफलता की कामना करते हुए मैं इससे जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने उद्देश्यों में सफल होने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस विशेषांक में प्रकाशित की गई सामग्री इसके सभी पाठकों के लिए महत्वपूर्ण एवं जानकारी से परिपूर्ण होगी।

(जे.एस. कौशल)
निदेशक (कार्मिक)

संपादकीय

निगम की त्रैमासिक पत्रिका 'भंडारण भारती' के पिछले अंकों के सफल एवं उद्देश्यपूर्ण प्रकाशन के बाद यह अंक HkkMkj.k fo'ks"kkd के रूप में प्रकाशित किया गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस अंक में हमने स्थाई स्तम्भों के अलावा भंडारण से संबंधित अपेक्षित जानकारी जैसे खाद्यानों का सुरक्षित भंडारण, देश में सार्वजनिक भंडारण के प्रारम्भ और विकास का कालक्रम, कीटनाशन एवं पैस्ट नियन्त्रण, भंडारण की सामाजिक आवश्यकता, भंडारण का इतिहास एवं जन–जन के लिए आधुनिक भंडारण व्यवस्था जैसे विषयों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है ताकि निगम से जुड़े हमारे अनेक जमाकर्ताओं एवं कृषक समुदाय को वैज्ञानिक एवं आधुनिक भंडारण पद्धति के बारे में जानकारी मिल सके।

निगम द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय–समय पर इस पत्रिका के लिए अपने मूल लेख लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। राजभाषा अनुभाग को प्रसन्नता है कि इस पत्रिका में रुचि रखने वाले और इसका महत्व समझने वाले कार्मिक इसमें अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं जिसके कारण हम इस पत्रिका के प्रकाशन में पूर्णतः सफल हो रहे हैं। यह भी विदित है कि राजभाषा के कार्य को निरन्तर आगे बढ़ाने के लिए अन्य कार्यों के अलावा पत्रिका प्रकाशन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि निगम की इस पत्रिका के माध्यम से अन्य संगठनों में हमारी एक नई पहचान बनी है जिसका श्रेय इस पत्रिका में अपने लेख लिखने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जाता है।

हमारा प्रयास रहा है कि इस पत्रिका का प्रत्येक अंक नई सामग्री, नए कलेवर और साज–सज्जा के साथ प्रकाशित हो तथा हम सभी से यह अपेक्षा करते हैं कि इस पत्रिका के साथ जुड़कर इसे उच्चस्तरीय बनाने में आप अपना अपेक्षित योगदान देने के लिए तत्पर रहें।

(नम्रता बजाज)
मुख्य संपादक

खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डारण– समस्याएं एवं प्रबन्धन

आई.सी. चड्ढा*

भूमिका

भंडारण एक ऐसी गतिविधि है जो कृषि, व्यापार तथा उद्योगों के विकास से निकटता से जुड़ी हुई है तथा सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। भारत में सार्वजनिक भंडारण की आधारभूत अवसंरचना सृजित करने के पीछे प्राथमिक कारण ग्रामीण ऋणग्रस्तता था। यह देखा गया कि किसान ऋणों के बोझ के नीचे दबे रहते थे। उन्हें फसल कटाई के तुरन्त बाद अपने अथक प्रयासों द्वारा पैदा किया हुआ अनाज कम मूल्यों पर बेचना पड़ता था ताकि फसल पकने से पहले लिये गये ऋणों अथवा पीढ़ी–दर–पीढ़ी चले आ रहे ऋणों को चुकाने के लिए अपने ऋणदाताओं को भुगतान कर सकें। यह एक बड़ी विचित्र प्रक्रिया थी जिसमें बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था।

सन् 1928 में कृषि के लिए गठित रॉयल कमीशन ने कृषि विपणन में भारी कमियों की ओर ध्यान दिलाते हुए लाइसंसशुदा वेअरहाउसों की स्थापना की सिफारिश की थी। तत्पश्चात् किसानों को ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या से निजात दिलाने के लिए विभिन्न आयोगों एवं समितियों ने यह सिफारिश की कि किसानों को बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्त में तभी इजाफा हो सकता है जब कृषि उत्पादों के समुचित श्रेणीकरण, मानकीकरण तथा उचित भंडारण के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वेअरहाउसों की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि वेअरहाउसों में वैज्ञानिक वेअरहाउसों की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि वेअरहाउसों में वैज्ञानिक भंडारण के अलावा बैंकों से ऋण लेने के लिए "नैगोशिएबल वेअरहाउस रसीद" का भी प्रावधान संभव था।

पूरे देशवासियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने तथा बेहतर पोषण प्रदान करने की हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए वैज्ञानिक भंडारण की आधारतभूत सुविधाएं अत्यन्त आवश्यक हैं। उत्पादकों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वैज्ञानिक वेअरहाउसिंग पद्धति ही एक अच्छा माध्यम है ताकि कटाई उपरान्त अनाज को सुनिश्चित रखा जा सके एवं किसी प्रकार की क्षति से बचाया जा सके। इस मिशन को सामने रखकर केन्द्रीय भंडारण निगम सहयोगी राज्य भंडारण निगम अपने ग्राहकों को उचित रूप से भंडारण तथा लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

केन्द्रीय भंडारण निगम की स्थापना मार्च, 1957 में कृषि, उत्पाद (विकास एवं वेअरहाउससिंग अधिनियम 1956) के अन्तर्गत की गई थी। बाद में यह अधिनियम निरस्त कर दिया गया तथा इसके स्थान पर एक नया अधिनियम वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 पारित किया गया। केन्द्रीय भंडारण निगम ने अपनी शुरूआत केवल 7 स्थानों पर किराए के गोदामों 7,000 मी. टन की मामूली क्षमता से की थी। समय के साथ कदम से कदम मिलाते हुए केन्द्रीय भंडारण निगम ने अपनी भंडारण क्षमता विभिन्न स्थानों पर बढ़ा ली है। इस समय देश भर में अनेक स्थानों पर वेअरहाउस हैं जो कृषि उत्पादों, कृषि आदान तथा औद्योगिक वस्तुओं का भंडारण करते हैं। अपनी स्थापना से ही केन्द्रीय भंडारण निगम कृषि उत्पादों के उचित भंडारण की आवश्यकता को समझते हुए किसानों को भंडारण हेतु प्राथमिकता देता रहा है उनके द्वारा जमा किय गये स्टॉक पर भंडारण प्रभारों में 30 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाती है।

भंडारण की वर्तमान पद्धति

वर्तमान में खाद्यान्न को मंडियों में क्रय करने के बाद बोरों में भरकर भंडारण स्थलों पर ले जाया जाता है। पूरे भारत वर्ष में भंडारण की प्रक्रिया बोरों में ही की जाती है। हमारे देश में बल्क भंडारण का प्रचलन नहीं है। खाद्यान्नों का भंडारण मूलतः किसानों, व्यापारियों तथा सहकारी एजेंसियों

* पूर्व महाप्रबन्धक (तकनीकी), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

द्वारा किया जाता है। उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत भंडारण फार्म स्तर पर ही किया जाता है जिसके लिए ज्यादातर पारम्परिक भंडारण पद्धतियों को अपनाया जाता है। भंडारण की पुरानी पद्धतियों जैसे खत्ती, कच्चा कुठला, पक्का कुठला, कंडा, मटका आदि में गुणात्मक तथा मात्रात्मक रूप में काफी हानि होती है। खाद्यान्नों का केवल 15 प्रतिशत उत्पादन ही सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के पास भंडारण हेतु आता है और शेष भाग व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के पास रहता है।

भंडारण विधि

भंडारगृहों पर प्राप्त प्रत्येक जिन्स की सावधानी पूर्वक जांच तथा परीक्षण उपरान्त गोदामों में उचित गलियारे छोड़ते हुए खाद्यान्न के बोरों के चट्टे लगाये जाते हैं। गोदाम "भारतीय मानक ब्यूरो" (बी. आई. एस.) द्वारा दिये गये डिजाइन के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से निर्मित किये जाते हैं। वैज्ञानिक भंडारण का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कीटों, कृतंको पक्षियों तथा अन्य पीड़क जंतुओं के नियन्त्रण के लिए कीट–निरोधक उपचार विधि के साथ–साथ नियमित निरीक्षण किया जाता है। इसके समुचित पालन से भण्डारित स्टॉक की गुणवत्ता बनाये रखने के साथ–साथ उसे लम्बी अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वर्तमान भंडारण पद्धति में कवर्ड गोदाम का इस्तेमाल किया जाता है तथापि भंडारण स्थान की कमी के समय खुले में भी स्टोर करना पड़ता है।

खुला भंडारण पद्धति (कैप)

इस पद्धति में खाद्यान्न विशेषकर गेहूँ व धान का खुले में भंडारण किया जाता है। ईंट तथा सीमेंट से बने प्लिंथों पर लकड़ी के क्रेट रखकर अनाज के बोरों के चट्टे लगाये जाते हैं तत्पश्चात् विशेष रूप से तैयार किये गये पॉलीथीन कवर से खाद्यान्नों को ढककर नाइलोन के जाल तथा रस्सियों से बांध कर रखा जाता है। यह एक अस्थायी भंडारण पद्धति है। इस प्रकार का भंडारण लम्बे समय तक करने पर खाद्यान्नों की तेज हवाओं, चूहों, पक्षियों आदि से क्षति की संभावना बनी रहती है। इस पद्धति के लिए निरन्तर चौकसी एवं निरीक्षण की बहुत आवश्यकता होती है। इस पद्धति में अधिक भंडारण हानि होने की वजह से इस प्रथा को केवल आपातस्थिति या भंडारण क्षमता की कमी होने पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

वर्तमान भंडारण एवं संचलन में आने वाली कठिनाइयां

खाद्यान्नों को बोरों में रखने की पद्धति में काफी सुधार की आवश्यकता है। यह पद्धति काफी धीमी तथा अकुशल है क्योंकि इसमें यांत्रिकीकरण की सुविधा मौजूद नहीं है। इस पद्धति में मार्केट यार्ड का भी उपयोग पूरी क्षमता के अनुसार नहीं हो पाता क्योंकि सभी कार्य श्रमिक आधारित हैं। इससे उत्पादकता का स्तर नीचा रहता है। खाद्यान्नों में क्रय भंडारण एवं परिवहन के सभी स्तरों पर गुणात्मक तथा भारात्मक हानियां अपेक्षा से अधिक होती हैं। इन सब चीजों में सुधार की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने सन् 2000 में 'नेशलन स्टोरेज पॉलिसी' बनाई है जिसके अनुसार भंडारण की विधि बोरों से बल्क पद्धति में परिवर्तित करने का प्रावधान है जो विश्व स्तर पर प्रमाणित खाद्यान्न भंडारण की सही एवं उचित विधि है। यह समय का तकाजा है कि हम भारत वर्ष में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस आधुनिक तकनीक का उपयोग करें।

कीट नियन्त्रण प्रंबध योजना

भंडारित किये जाने वाले अनाज में किसी भी प्रकार के ह्रास से बचाव के लिए अत्यन्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज अर्थात् जिसमें बाहरी पदार्थ कम से कम हों तथा नमी की मात्रा भी सुरक्षित भंडारण सीमा के अंदर हो, खराब गुणवत्ता वाले अनाज की तुलना में, उसमें कीटों का आक्रमण कम होता है, गोदामों के अंदर तथा बाहर की सफाई तथा रखरखाव भी पीड़क जंतुओं की संख्या पर निगरानी रखने, इनकी पहचान करने तथा निर्धारित रोगरोधी तथा उपचारात्मक उपाय करने के लिए स्टॉक को नियमित निरीक्षण की आवश्यकता लगातार पड़ती है। गोदामों में चट्टा लगाने की प्रक्रिया भी वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए ताकि आवश्यकता होने पर निरीक्षण एवं उचित रासायनिक उपचार किए जा सकें। भंडारण में पीड़क जंतुओं की निरन्तर निगरानी करने से इनके नियंत्रण में काफी सहायता मिलती है।

प्रधूमन

भंडारित वस्तुओं में कीटग्रस्तता–नियंत्रण के लिए प्रधूमन एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। प्रधूमन एक ऐसी विधि है जिसमें रसायनों से उत्पन्न जहरीली गैस अनाज के कीड़ों को नियंत्रित करने में मदद करती है। कुछ देशों में ग्रेन प्रोटेक्टेंट को खाद्यान्न में मिला दिया जाता है ताकि अनाज को कीट रहित रखा जा सके परन्तु हमारे देश में किसी भी प्रकार के रसायनों को खाद्यान्न में मिलाना प्रतिबंधित है। इस प्रकार के हालात में प्रधूमन ही एक ऐसी विधि है जो अनाज को सुरक्षित रख सकती है।

मिथाइल ब्रोमाइड तथा एल्युमीनियम फॉस्फाइड (फॉसफीन)

ये दोनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाये जाने वाले प्रधूमक हैं। मिथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग समाप्ति की ओर है और इसका प्रयोग केवल आयात के समय ही किया जाता है क्योंकि यह रसायन ओजोन की परत पर असर डालने वाला है। इसके बाद भंडारित वस्तुओं के प्रधूमक के रूप में फॉस्फीन ही सबसे अधिक स्वीकार्य प्रधूमक है। इस समय फॉस्फीन ही एक ऐसा प्रधूमक है जो दुनिया भर में बिना किसी विवाद के इस्तेमाल हो रहा है। फॉस्फीन के नियमित प्रयोग से आने वाले खतरों में स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण को हानि तथा अनाज के कीड़ों का इसके प्रति प्रतिरोधी हो जाना शामिल है। फॉस्फीन का इस्तेमाल अप्रशिक्षित लोगों द्वारा किये जाने पर कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं जो जानलेवा भी बन सकती हैं। इसलिए फॉस्फीन का प्रयोग केवल प्रशिक्षित लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिए।

एल्युमीनियम, मैगनीशियम अथवा मैगनीशियम फॉस्फाइड की गोलियां, पैलेट व थैलियां हवा की नमी के सम्पर्क में आते ही फॉस्फोन नामक गैस उत्पन्न करती हैं। यह गोलियां प्रायः 3 ग्राम वजन वाली होती हैं तथा गोली से एक ग्राम फॉस्फीन गैस पैदा होती हैं। फॉस्फीन पैलेट का वजन 0.6 ग्राम होता है जो कि 0.2 ग्राम फॉस्फीन पैदा करता है। फॉस्फीन की थैली लगभग 34 ग्राम वजन की होती है जो तकरीबन 11 ग्राम फॉस्फीन गैस उत्पन्न करती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों में फॉस्फीन के लम्बे–लम्बे स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है जिनको 'फॉस्फीन बैल्ट कहते हैं। इसका मुख्य लाभ यह होता है कि जो अनाज बल्क में भंडारित होता है, इसमें प्रधूमन के बाद रसायन का कोई अवशेष नहीं रहता।

भारत वर्ष में अनाज में प्रधूमन के लिए फॉस्फीन की गोलियों को कागज/अनेमल प्लेट में रखकर चट्टों पर रखने के पश्चात् लगभग 7 दिन के लिए गैसरोधी कवर से ढक दिया जाता है। इस प्रक्रिया में फॉस्फीन के अवशेष का बोरों से डिस्पोजल में सुविधा हो जाती है। पहले फॉस्फीनकी गोलियां सीधे बोरों में रख दी जाती थीं जिससे अवशेष को निकालने में बड़ी दिक्कत आती थी। इसका अवशेष यद्यपि जहरीला नहीं है फिर भी यह गोदाम में कार्य करने वालों के लिए काफी असुविधाजनक होता था। कभी–कभी इस अवशेष में कुछ मात्रा में फॉस्फीन बची रह जाती थी जिससे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की समस्यांए होती थी। रोग रोधी उपचार करने के उपरान्त शेष बचे अवशेष अनाज की बोरियों पर गहरी परत बन जाती थी जिसकी वजह से प्रधूमक की तीव्रता प्रभावित होती थी। केन्दीय भंडारण निगम ने नई विधि अपनाकर इन समस्याओं से निजात पाने में सफलता पाई है। आजकल फॉस्फीन की पाउच भी मिलती है जो प्रयोग में काफी सुविधाजनक है। पाउच पांच ग्राम, दस ग्राम एवं चौंतीस ग्राम में मिलती है जो पांच, दस और चौंतीस क्विंटल के लिए काफी है।

फॉस्फीन तथा कार्बन डाई–आक्साइड के मिश्रण द्वारा प्रधूमन

यह हम जानते हैं कि पर्यावरण में कार्बन डाईआक्साइड की यात्रा बढ़ने से श्वास की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसी सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए फॉस्फीन और कार्बन डाई–आक्साइड का मिश्रण प्रधूमन के लिए चुना जा रहा है। कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा बढ़ाने पर कीटों की श्वास प्रक्रिया तेज हो जाती है जिससे फॉस्फीन की कम मात्रा भी, उनका शिकार करने के लिए काफी कारगर साबित हुई। म्यूलर नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि कार्बन डाईआक्साइड व फॉस्फीन के मिश्रण में कीटों को अण्डे से लेकर वयस्क कीड़ों तक मारने की क्षमता होती है जबकि फॉस्फीन कीटों के अण्डों पर बेअसर

साबित होती है। कार्बन डाईआक्साइड का मिश्रण 3 प्रतिशत तक बढ़ाने से कीटों की श्वास की तीव्रता 50 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। यह तीव्रता 300 प्रतिशत तक हो जाती है जब कार्बन डाईआक्साइड का स्तर 5 प्रतिशत तक हो जाता है। यह पाया गया है कि फॉस्फीन और कार्बन डाईआक्साइड का मिश्रण उन कीड़ों को मारने में भी सहायक होता है जो सामान्यतः फॉस्फीन से नहीं मरते हैं।

केन्द्रीय भंडारण निगम ने इस बारे में 'भारतीय अन्न प्रबंधन एवं संस्थान, हैदराबाद तथा एकसैल उद्योग के साथ मिलकर एक फॉस्फीन जनरेटर बनाया और कई वेअरहाउसों में इस बारे में परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया कि कार्बन डाईआक्साइड व फॉस्फीन के मिश्रण इस्तेमाल करने पर, फॉस्फीन की निर्धारित मात्रा में 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है। अतः यह साबित होता है कि फॉस्फीन व कार्बन डाईआक्साइड का मिश्रण भविष्य में सुरक्षित अनाज भंडारण के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

प्रधूमन की असफलता

यदि प्रधूमन के पश्चात् जीवित कीट पाये जाते हैं तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि प्रधूमन बेअसर रहा है जो निम्नलिखित कारणों से हो सकता है:–

- प्रधूमन निर्धारित समयावधि तक नहीं रख गया हो।
- प्रधूमन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था।
- प्रधूमन के पश्चात् कीट प्रवेश कर गये हों।
- कीट प्रधूमन के प्रति प्रतिरोधक हो गये हों।
- मॉनीटरिंग उपाय की कमी रही हो।

अधिकतर मामलों में फॉस्फीन प्रधूमन की नाकामयाबी का कारण प्रधूमक का निर्धारित समयावधि के लिए न रखे जाने की वजह से होता है। प्रधूमन के दौरान इस्तेमाल की गई प्रधूमन–कीट का विशेष महत्व है। बहुत सारी सार्वजनिक एजेसिंयों द्वारा प्रधूमन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली काले रंग के पालीथीन कवरों में पिन साइज के सुराख हो जाते है जिनके कारण गैस रिसती रहती है तथा प्रधूमन की प्रभावकारिता कम हो जाती है। फॉस्फीन की सही मात्रा और सही तरीका अपनाया जाना आवश्यक है। ऐसा किये जाने पर ही कीटों का पूर्ण रूप से सफाया किया जा सकता है। बोरों के चट्टों के प्रधूमन के दौरान प्रधूमन शीटों से ढकने के पश्चात उन्हें सैंड स्नेक से सीलबंद करना आवश्यक है अन्यथा रसायनों के ऊपर फिजूल का खर्चा होगा और प्रधूमन में असफलता ही हाथ लगेगी। इसके अलावा प्रधूमन की सही मात्रा प्राप्त न होने पर कीटों में संकेन्द्रता की मॉनीटरिंग नहीं की जाती जिसके अभाव में प्रधूमन की असफलताओं के कारण का पता लगाना संभव नहीं है।

कई बार प्रधूमन की असफलता सूचित करने पर यह जांच करने की आवश्यकता रहती है कि ऐसा प्रधूमन अनुचित विधि के कारण हुआ है अथवा कीटों का इसके प्रति प्रतिरोधक होने से हुआ है। यह तो सिद्ध हो चुका है कि कम जहरीलेपन अथवा अवशेष की समस्या के कारण प्रधूमक अपनी प्रभावकारिता खो देता है। अतः प्रधूमक की मात्रा तथा विधि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। प्रधूमन के प्रतिरोध की मॉनीटरिंग के लिये एक निरन्तर पद्वति का होना आवश्यक है ताकि जल्द से जल्द पता लगाकर चेतावनी दी जा सके तथा वाणिज्यिक रूप से होने वाली हानियों से बचा जा सके। हमें फॉस्फीन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना आवश्यक है क्योंकि किसी भी नये कीटनाशकों/प्रधूमन के विकास एवं पंजीकरण में 60 मिलियन अमेरिकी डालर जितनी भारी लागत आती है।

वैकल्पिक प्रधूमन

फॉस्फीन का तत्काल कोई विकल्प नहीं है लेकिन कुछ मामलों में कीटों के प्रतिरोधक होने की समस्या को देखते हुए वैकल्पिक प्रधूमकों पर कार्य करना आवश्यक हो गया है। प्रधूमकों की निम्नलिखित सूची हालांकि सभी प्रधूमकों को शामिल नहीं करती तथापि आज के नये वैकल्पिक प्रधूमकों के बारे में बताती है।

1. ईको फ्यूम (98 प्रतिशत फॉस्फीन व 2 प्रतिशत कार्बन डाईआक्साइड)
2. फॉस्फीन तथा कार्बन डाईआक्साइड का मिश्रण
3. सुल्फूराइल फ्लोराइड (प्रोफ्यूम)
4. इथाईल फामेंट

5. वैपोरमेट
6. प्रोपाइलीन ऑक्साइड
7. कार्बोनाईल सल्फाइड

एकीकृत पीड़क जन्तु प्रबंधन में नीम की भूमिका

पर्यावरण हितैषी एवं प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में नीम की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। यह अत्यंत सुरक्षित है, चूंकि नीम में कोई जहरीला अवशेष नहीं पाया जाता। इस समय कीटों का नीम के प्रति प्रतिरोधी होने के बारे में कोई सूचना नहीं है और इसके उत्पाद पूरी तरह अपघटित हो जाते हैं और पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं पहुंचाते। विभिन्न अध्ययनों द्वारा पुष्टि की गई है कि नीम अकेला अथवा अन्य किसी प्रधूमक के साथ भंडारण के कीटों जैसे राइजोपर्था डोमिनिका, साइटोमिलस ओराइजी, ओराइजोफिलस तथा कोरिसिरा इत्यादि जाति के लिए प्रभावकारी है। नीम द्वारा कीटनाशी उपचार रासायनिक उपचारों का स्थान पूरी तरह नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार नीम के उत्पादों को एकीकृत पीड़क जन्तु प्रबंधन में प्रयोग किया जा सकता है। केन्द्रीय भंडारण निगम मैसर्स आई टीसी लि., गुंटूर द्वारा ग्रेन प्रोटेक्टेंट के रूप में विकसित 1500 पी.पी.एस 'अजाडिराचिन' के प्रयोग पर फील्ड परीक्षण कर रहा है।

भविष्य की चुनौतियां

भारत में अन्न–उद्योग एक निर्णायक दौर से गुज़र रहा है। हमें न केवल खाद्यान्नों की गुणवत्ता को बनाए रखना है बल्कि इनकी मात्रा भी बढ़ानी है।

वर्तमान नियंत्रण पद्धति अथवा अनुचित प्रधूमन पद्धतियों के प्रयोग से कीटों का प्रतिरोधी हो जाने से पीड़क जन्तु नियंत्रण के क्षेत्र में भारी समस्या पैदा हो सकती है। जिन समस्याओं पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है, वे इस प्रकार हैं :–

- फॉस्फीन ही केवल एकमात्र ऐसा प्रधूमक है जिस पर खाद्यान्नों को कीटरहित बनाने के लिए आश्रित रहा जा सकता है। फॉस्फीन प्रधूमक की असफलताओं के कई कारण हैं। प्रमुख कारण वायुरोधी वातावरण उपलब्ध न होना है। फॉस्फीन की लीकेज को रोकना भी जरूरी है। अतः उचित सीलिंग पद्धति का प्रयोग करते हुए गैसरोधी स्थिति पैदा करने की आवश्यकता है। इसमें दो लाभ होंगे। पहला लाभ यह होगा कि कम मात्रा में फॉस्फीन की जरूरत पड़ेगी। दूसरे गैस लिकेज से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। अतः सीलिंग की वर्तमान पद्धति को बेहतर रूप में विकसित करने की जरूरत है।
- यह एक सर्वविदित तथ्य है कि भारत में प्रधूमन के दौरान गैस की संकेन्द्रता की मॉनीटरिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रभावकारी एवं कुशल प्रधूमन के लिए नियमित मॉनीटरिंग बहुत जरूरी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि "मॉनीटरिंग नहीं तो प्रधूमन नहीं"। अतः गैस की संकेन्द्रता की पूरी मॉनीटरिंग एवं शेष बची गैस को बाहर वातावरण में न आने देने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संबंध में नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध है लेकिन उद्योग तथा सरकार के सहयोग की जरूरत है।
- वैकल्पिक प्रधूमकों को विकसित करने का महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि मिथाइल ब्रोमाइड तथा फॉस्फीन काफी लम्बे समय से प्रयोग हो रहे हैं तथा इनके अपने लाभ तथा हानियां हैं। सामाजिक तथा पर्यावरण मानकों में परिवर्तन किए जाने के कारण मिथाइल ब्रोमाइड को चरणबद्ध रूप में हटाया जा रहा है। फॉस्फीन के प्रति कुछ कीटों के प्रतिरोधी हो जाने से इसका विकल्प ढूंढना भी जरूरी हो गया है। नया प्रधूमक विकसित करना इतना आसान नहीं है। नया प्रधूमक ऐसा होना चाहिए जो अन्न को कोई क्षति न पहुंचाए, अपेक्षाकृत सस्ता तथा पर्यावरण हितैषी, प्रयोग करने में आसान तथा कम समय में कीटों को मारने में सक्षम होना चाहिए।
- रोगरोधी एवं उपचारात्मक उपायों के लिए कीटनाशकों की मात्रा पीड़क जन्तुओं के प्रकार तथा जलवायु की परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना निर्धारित की जाती है। प्रभावकारी उपचार के लिए मात्रा को परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए जैसा कि अगर ट्रगोडर्मा नामक कीट

अनाज में नहीं है तो कीटनाशक/प्रधूमक की मात्रा कम की जा सकती है। इससे कीटनाशकों की कम मात्रा प्रयोग करनी पड़ेगी तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव भी कम होंगे।

- फार्म स्तर पर प्रधूमन की पद्धति बिल्कुल ही आरंभिक स्थिति में है जहां पर किसान बोरियों में गोलियों रखने मात्र से ही प्रधूमन हुआ मान लेते हैं। प्रधूमन प्रक्रिया की सफलता अथवा असफलता निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है। इस संबंध में फोस–कार्ड शुरू करने का सुझाव है जैसा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रचलन है। फोस कार्ड क्रेडिट कार्ड के आकार का एक कार्ड है जिसके ऊपर कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है। फॉस्फीन कॉपर के साथ क्रिया करता है तथा कॉपर की शेड से फॉस्फीन की संकेन्द्रता का पता लगाया जा सकता है। यह तरीका फार्म स्तर पर प्रधूमकों की उचित मॉनीटरिग के लिए सुगमता से शुरू किया जा सकता है।

- कुछ पीड़क जन्तुओं का अन्न के प्रोटेक्टेंट के प्रति प्रतिरोधी हो जाने को ध्यान रखते हुए ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों में अन्न प्रोटेक्टेंटों के मिश्रण की सिफारिश की गई है क्योंकि कोई एक प्रोटेक्टेंट सभी प्रतिरोधी कीटों से सुरक्षा नहीं दिला सकता। यह समस्या सभी देशों में पाई जाती है लेकिन फिलहाल भारत में अलग–अलग प्रोटेक्टेंट मिलाकर प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। विभिन्न मिश्रण तैयार करने की विधि भी विकसित की जानी चाहिए। इस प्रकार की संभावना तलाशने से कीटनाशकों की मारक अवधि बढ़ाने में सहायता मिलेंगी।

- कीटों का प्रतिरोधी हो जाना भी एक विश्वव्यापी समस्या है। अतः इस समस्या का सामना करने के लिए एक उचित रणनीति बनाने की भी आवश्यकता है।

- नियंत्रित वातावरण पद्धति जहां अनाज की गुणवत्ता की सुरक्षा करती है, वहां कीटों तथा माइट को नियंत्रित करती है। इस पद्धति के अन्तर्गत सीलबंद भंडारण में निष्क्रिय गैसों के मिश्रण पर परीक्षण करने की आवश्यकता है ताकि प्रधूमकों की कम मात्रा प्रयोग करनी पड़े।

- नीम के उत्पादों की पर्यावरण हितैषी एवं प्राकृतिक कीटनाशकों के रूप में पहचान की गई है। वर्तमान में अन्न प्रोटेक्टेंट/प्रधूमकों के साथ नीम के उत्पादों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

- खाद्यान्न जहां मानवता के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, वहां ये प्रकृति की ओर से मानवता के लिए एक उपहार भी हैं। यह ठीक है कि पीड़क जन्तुओं से अन्न को बचाने के लिए उन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, लेकिन कीटनाशकों का निरंतर प्रयोग भी कम खतरनाक नहीं है। अतः एक ऐसी रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत पीड़क जन्तु नियंत्रण तथा प्रबंधन के उच्च मानक स्थापित किए जाएं। अब समय आ गया है कि पीड़क जन्तुओं के नियंत्रण के लिए एक एकीकृत पद्धति अपनाई जाए जिसमें प्राकृतिक प्रजनन, कीटनाशकों का नपा–तुला प्रयोग अथवा जैविकी कीटनाशक अथवा अन्य जैविक अनुप्रयोगों के प्रयोग पर बल दिया जाए।

मानव जाति के लिए कीट मुक्त एवं गुणवत्ता वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि खाद्यान्नों के भंडारण के क्षेत्र में कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ता वेअरहाउसिंग एजेंसियों एवं कीटनाशक उद्योग के साथ मिलकर पीड़क जन्तुओं के नियंत्रण की वैकल्पिक रणनीतियां तैयार करें ताकि भारत में अन्न–उद्योग के हितों की सुरक्षा सहित बेहतर प्रबंधन पद्धतियों को अपनाते हुए कीटनाशकों का न्यूनतम प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। ❑

क्रोध मूर्खता से प्रारम्भ होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है
सम्पन्नता मित्रता बढ़ाती है, विपदा उनकी परख करती है।

देश में सार्वजनिक भंडारण के प्रारम्भ और विकास घटनाओं के कालक्रम की संक्षिप्त जानकारी

आवश्यकता	संगठित विपणन वैज्ञानिक भण्डारण – वर्जनीय क्षतियों को कम करना। ग्रामीण ऋणग्रस्तता, विवशतावश बिक्री, सुलभ संस्थागत ऋण, परक्राम्य दस्तावेज।
प्रारम्भ 1928	कृषि पर रॉयल कमीशन ने लाइसेंस प्राप्त भांडागारों की स्थापना की सिफारिश की।
1944	भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों से भांडागारों की स्थापना हेतु कानून बनाने के लिए कहा।
1944	भारत सरकार ने उपाय सुझाने के लिए प्रो. डी.आर. गाडगिल की अध्यक्षता में कृषि वित्त उप समिति की नियुक्ति की।
1945	रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें ऐसे भांडागार स्थापित करने की सिफारिश की गई जहां पर कृषि उत्पाद भण्डारित किया जा सके, वेअरहाउस रसीद जारी हो तथा किसानों को ऋण मिलना आसान हो। यह भी महसूस किया गया कि राज्यों को कृषि उत्पादों के सभी प्रमुख व्यापारिक स्थानों पर भांडागारों का निर्माण करने की योजना बनानी चाहिए और इस कार्य के लिए एक सार्वजनिक निगम की स्थापना होनी चाहिए।
1949	**भारत सरकार ने ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति नियुक्त की जिसने दो कार्यों के लिए कार्रवाई को उचित माना** राज्यों द्वारा गाडगिल समिति की सिफारिशों के अनुसार भांडागारों की शृंखला का निर्माण। अपने गोदाम बनाने के लिए सहकारी संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण/आर्थिक सहायता का प्रावधान।
1951	अगस्त में भारतीय रिजर्व बैंक ने **अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति** का गठन किया जिसने 75 जिलों के 600 गांवों में 1,27,343 परिवारों का सर्वेक्षण किया और निम्नलिखित कमियों को उजागर किया :– – संगठित विपणन सुविधाएं – अपर्याप्त परिवहन एवं संचार सुविधाएं – अपर्याप्त सहकारी एवं सरकारी ऋण – अपर्याप्त भण्डारण सुविधाएं। समिति ने भांडागारों के विस्तृत नेटवर्क एवं उपयुक्त स्थानों पर लाइसेंस प्राप्त भांडागारों की स्थापना की ज़रूरत महसूस की।
1956	अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर **दि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस (डेवल्पमैन्ट एवं वेअरहाउसिंग) कारपोरेशन्स एक्ट, 1956** बनाया गया।

* साभार, के.भ.नि., प्रशिक्षण कैलेंडर

1957	02 मार्च, 1957 को केन्द्रीय भण्डारण निगम (केभनि) अस्तित्व में आया और किराए के 7000 मी.टन क्षमता के 7 भांडागारों से अपना कार्य प्रारम्भ किया।
1962	1956 का अधिनियम निरस्त हुआ और उसके स्थान पर **वेअरहाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, 1962** अस्तित्व में आया।
1982	केन्द्रीय भण्डारण निगम ने अपने संघर्षपूर्ण सफर के 25 वर्ष पूरे किये और 3 नवम्बर से 6 नवम्बर, 1982 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में **अन्तर्राष्ट्रीय भण्डारण सम्मेलन** आयोजित किया।
2007	निगम ने 02 मार्च, 2007 को अपने 50 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किये और 28 फरवरी से 4 मार्च, 2007 तक होटल ताज मान सिंह, नई दिल्ली में **अन्तर्राष्ट्रीय भण्डारण सम्मेलन** आयोजित किया।
2007	केन्द्रीय भण्डारण निगम ने 4 जनवरी को आई.सी.डी., लोनी (गाजियाबाद) से गेटवे पोर्ट, नवी मुम्बई के लिए अपनी पहली कंटेनर गाड़ी रवाना की। आईसीडी, लोनी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी मॉडल) के अन्तर्गत संयुक्त उद्यम है।
2007	रेलसाइड भाण्डागारों पर विशेष प्रचालन एवं प्रबन्धन के लिए जुलाई, 2007 में एक सहायक **सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लिमिटेड** की स्थापना की गई।
2007	**भण्डारण (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2007** कृषक समुदाय को अन्य अनेकों लाभ देने के साथ–साथ वेअरहाउस रसीद की पूरी परक्राम्यता को सुनिश्चित करेगा।
2008	सितम्बर, 2008 के दौरान **भण्डारण (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2007** पर ''वेअरहाउसिंग 2008'' राष्ट्रीय सम्मेलन विज्ञान भवन में आयोजित हुआ। इसके अलावा चार क्षेत्रीय सम्मेलन चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई एवं चण्डीगढ़ में भी आयोजित किए गए।
2009	केन्द्रीय भण्डारण निगम को 23 सितम्बर, 2009 को अनुसूची 'ख' से अनुसूची 'क' में अपग्रेड किया गया।
2011	केन्द्रीय भण्डारण निगम का पहली बार 1000 करोड़ रु. से अधिक का टर्नओवर रहा।
2012	केन्द्रीय भण्डारण निगम ने विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में वर्तमान में किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि वस्तुओं के फसल उपरान्त प्रबन्धन में प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु 25.10.2012 को आईजीएमआरआई, हापुड़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2013	8 मई, 2013 से आईजीएमआरआई, हापुड़ में केन्द्रीय भण्डारण निगम के प्रशिक्षण संस्थान ने कार्य करना प्रारम्भ किया।
2016	वर्ष 2015–16 के दौरान केभनि ने 1640 करोड़ रु. का रिकार्ड टर्न ओवर प्राप्त किया।
2016	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए शील्ड योजना के अंतर्गत निगम ने राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
2016	इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स ने पीएसई उत्कृष्ट अवार्ड 2015 के लिए निगम को मिनी रत्न श्रेणी में मानव संसाधन प्रबंधन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

भंडारण का इतिहास एवं जन–जन के लिए आधुनिक भंडारण व्यवस्था

महिमानन्द भट्ट*

हमारे देश में कृषि पुरातन काल से ही देश की अर्थव्यवस्था का आधार–स्तम्भ रही है। कृषि क्षेत्र में निर्भरता के कारण हमारा देश कृषि प्रधान देश के नाम से भी जाना–पहचाना जाता है। देश की बहुसंख्यक जनसंख्या गाँवों में रहती है और उनकी निर्भरता अपने मुख्य व्यवसाय कृषि पर है। प्रारंभ से ही घरेलू खाद्य जरूरतों को पूरा करना सबसे बड़ी सामाजिक प्राथमिकता महसूस की गई और खाद्य उत्पादन पर जोर दिया गया। देश की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में प्रगति के सोपान निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहने के साथ–साथ खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि–जिन्सों का समुचित उत्पादन सुनिश्चित कर विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ता गया। मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में जब देश विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ रहा है, तब नई तकनीकी द्वारा प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं और उत्पादों का समुचित विकास करना एवं आर्थिक गतिविधियों में एक नई–स्फूर्ति लाना नितांत आवश्यक है।

जहाँ तक भण्डारण के इतिहास का प्रश्न है, यह माना जाता है कि यह उतना ही पुराना है जितना कि स्वंय मानव। सभ्यता के प्रथम चरण से ही खाद्यान्नों को भविष्य की खपत (उपभोग) तथा बीज के लिए संचय किया जाता था। इस उद्देश्य के लिए गड्ढ़ों, टोकरों, मिट्टी के बर्तनों तथा कोठरों तक में खाद्यान्न संचित किया जाता था जो मौसम की अनुकूलता तथा अन्य कारणों से ही सुरक्षित रह सकता था। ऐसे भी उदाहरण

मिले हैं कि प्राचीन काल में आर्य लोग अनाज को अपने कोठरों में रखते थे जिसे माप कर रखा जाता था। भविष्य की चिन्ता ने मानव में संग्रह प्रवृत्ति को जन्म दिया। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मानव खाद्य पदार्थ एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जहाँ संघर्षरत रहा, वहीं उसके उचित भण्डारण के लिए भी निरंतर सजग रहा। बाइबिल में एक कथा आती है कि ईसा के प्रिय शिष्य जोसेफ ने एक स्वप्न देखा था कि इजराइल में घोर अकाल पड़ेगा और कई वर्षों तक लोग जीवन के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर उसने खाद्य पदार्थों का संग्रह किया और कई लोगों के जीवन की रक्षा की। भारतीय धर्म ग्रन्थों में कुबेर को सभी संपदाओं का स्वामी कहा जाता है जो सारी भण्डारण व्यवस्था का प्रमुख माना जाता है।

खाद्य पदार्थों की निरन्तर प्राप्ति के अभाव, प्रकृति की अस्थिरता एवं अकाल आदि के दुःखद अनुभव ने मानव को इस बात के लिए विवश किया कि वह खाद्यान्नों को भविष्य के लिए भण्डारित करे और उसकी बर्बादी को रोके। कृषि के साथ–साथ वाणिज्य धीरे–धीरे एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। मौर्य काल में व्यापार से ही समुचित मात्रा में राजस्व प्राप्त होता था। वाणिज्य ने न केवल देश के भीतर बल्कि देश के बाहर भी अपनी विशिष्टता प्राप्त की। भारत ने अनेक पश्चिमी देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए। पाश्चात्य लोग भारत से सुन्दर मलमल जैसी विलास सामग्री का आयात करने लगे। मिस्र, सीरिया तथा चीन से भारत के व्यापारिक संबंध थे। मुख्य आयातों में सोना–चाँदी, कच्चा रेशम तथा दवाएँ थीं तथा प्रमुख निर्यातों में कपड़ा, मिर्च तथा औषधियाँ आदि थीं। समुद्री मार्गों से व्यापार के लिए बन्दरगाह थे। मौर्य सरकार ने समुद्री जहाजों का निर्माण किया तथा उन्हें भारत और अन्य देशों के बीच वस्तुओं के परिवहन के लिए किराये पर दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भण्डारण सुविधाएँ बन्दरगाहों पर उपलब्ध थीं जो अल्प–विकसित थीं तथा इनका उपयोग विदेश व्यापार की वस्तुओं की रक्षा के लिए किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड के बर्गेस

*वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (राजभाषा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

नामक स्थान पर एक परिवार था जो प्रमुख होटलों तथा भण्डारगृहों का मालिक था। समीपता के कारण व्यापारी व्यापार हेतु वहाँ मिलते थे, जहाँ नमूनों द्वारा अधिकतर विक्रय कार्य किया जाता था।

मध्यकालीन यूरोप के वाणिज्य के इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि वाणिज्य के प्रसार के लिए अन्य सुख–सुविधाओं के अतिरिक्त टेम्स नदी के किनारे वेअरहाउसों का निर्माण किया गया था। वेअरहाउसों में भण्डारित माल की सुरक्षा सामान्यतया राज्य की जिम्मेदारी मानी जाती थी। 19वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में कई वेअरहाउस बनाए गए। ऐसा कहा जाता है कि चार्ल्स डिकन ने लंदन में स्थित एक वेअरहाउस से अपना जीवन आरंभ किया। कृषि क्रान्ति के साथ–साथ औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप पश्चिमी गोलार्द्ध में आर्थिक विकास का चमत्कारिक रूप से उत्थान हुआ। औद्योगिक क्रान्ति की कल्पना फ्राँस से शुरू हुई जिसका जन्म इंग्लैण्ड में हुआ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो समूचे संसार को खिलाने का दावा करता है वही अनाज का उत्पादन दो शताब्दी पहले तक अपने ही उपयोग के लिए कर पाता था और कृषि उत्पादन का कुछ भाग ही बाजार में बेच पाता था।

आर्थिक विकास व्यापार एवं वाणिज्य के प्रसार के परिणामस्वरूप विविध श्रेणियों के भण्डारगृहों की आवश्यकता अनुभव की गई ताकि संचय व्यवस्था तथा बची हुई वस्तुओं की खपत की जा सके। इसके लिए कई प्रकार के गोदाम बनाए गए जैसे घरेलू माल गोदाम, फैक्ट्री, फार्म, मिल भण्डार, शाखा भण्डार, विशेष वस्तु गोदाम, सूती कपड़ा गोदाम, ऊन गोदाम, आलू गोदाम आदि। विदेश व्यापार हेतु आयात–निर्यात शेडों की आवश्यकता अनुभव हुई। बड़े बन्दरगाहों में पारगमन डिपुओं की स्थापना भण्डारण आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई। जब तक वस्तु की बाजार में समुचित मांग नहीं होती उस समय तक माल के मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उसे गोदाम में

वैज्ञानिक ढंग से परिरक्षण करने की आवश्यकता होती है ताकि मात्रा तथा गुणात्मक मूल्यों का सही ढंग से रखरखाव किया जा सके।

आज के संदर्भ में भण्डारण की संकल्पना पुरानी होने पर भी कहीं अधिक व्यापक है। इसमें वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखना, उनका परिरक्षण एवं मानकीकरण आदि कार्य आते हैं। भण्डारण से संबंधित कार्य जैसे रख–रखाव, परिवहन, विक्रय एवं वितरण आदि सेवाएँ भी इसके अधीन उपलब्ध कराई जाती हैं। आजादी के बाद यह महसूस किया गया कि इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आवश्यक वस्तुओं का उचित भण्डारण किया जा सके चूँकि भण्डारण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए बड़े–बड़े गोदामों और वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। मूल्य नियंत्रण एवं आर्थिक व्यवस्था के लिए भण्डारण व्यवस्था का विशेष महत्व है। पहले किसान भण्डारण सुविधाओं के अभाव में तथा धन की कमी के कारण फसल तैयार होते ही कम मूल्य पर इसे बेच देते थे लेकिन भण्डारण व्यवस्था के अन्तर्गत अब संग्रह सुविधाओं तथा ऋण–सुविधाओं के कारण किसान फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इससे रख–रखाव एवं परिवहन व्यवस्था के अतिरिक्त वितरण लागत भी कम आती है।

वेअरहाउसिंग का नारा है– उपजाओ, संभाल कर रखो एवं खुशहाल बनो: वेअरहाउसिंग के इस नारे में वेअरहाउसिंग की पूरी संकल्पना के दर्शन होते हैं। उत्पादन एवं परिरक्षण से खुशहाली की भावना को लेकर भण्डारण व्यवस्था आज देश की प्रगति में निरन्तर योगदान दे रही है। आने वाला समय बताएगा कि इस दिशा में कहाँ तक प्रगति हो पाएगी लेकिन यह व्यवस्था समय के साथ–साथ विकसित होगी। आज की भण्डारण व्यवस्था सामान्य भण्डारण पर आधारित न होकर उससे आगे बढ़ चुकी है। बॉन्डेड वेअरहाउसों एवं कंटेनर फ्रेट

स्टेशनों के माध्यम से इसमें बहुत परिवर्तन आया है। कौन–सी व्यवस्था भविष्य में भण्डारण की माँग करेगी, यह समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है किन्तु भण्डारण के लिए निरन्तर अनुसंधान और चिंतन की आवश्यकता है। वैज्ञानिक भण्डारण की दिशा में आज कीटनाशन सेवाओं एवं प्रधूमन कार्य की व्यवस्था कर भण्डारित माल का परिरक्षण किया जाता है। सरकार व सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं की मूल्य समर्थन एवं मूल्य नियंत्रण में सहायता देना एवं भण्डारण तकनीकों के लिए शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के साथ–साथ भण्डारित माल के लिए ऋण–सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त करना जैसी सुविधाएँ आज विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों को भण्डारण की वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी देकर उन्हें अन्न सुरक्षा की प्रेरणा दी जाती है। भण्डारण व्यवस्था के अन्तर्गत आज गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएँ उच्च स्तर की हैं । वैज्ञानिक तकनीकों के परिणामस्वरूप भण्डारण क्षतियों को कम करने की दिशा में विशेष सफलता हासिल की गई है।

आज उत्पादन को बढ़ाना तथा भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रखना देश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भण्डारण के माध्यम से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखना राष्ट्रहित में बहुत उपयोगी है। भण्डारण की लाभकारी योजनाओं में तेजी लाकर **भण्डारण क्रान्ति** की लहर पूरे देश में फैलाकर आत्म–निर्भरता की ओर बढ़ा जा सकता है। आज भण्डारण के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। भण्डारण में जमा होने वाली वस्तुओं को अच्छी तरह तोला जाता है, नमूने लिए जाते हैं, विश्लेषण किया जाता है और उनका श्रेणीकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त जमा माल का आग, चोरी एवं सेंधमारी के लिए बीमा कराया जाता है। जमाकर्ता वेअरहाउस में जमा की गई वस्तुओं के बदले में वेअरहाउस रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इस वेअरहाउस रसीद को बैंक में जमा कर ऋण लिया जाता है। भण्डारगृह में चट्टों की इस ढंग से योजना बनाई जाती है ताकि उनका सहज निरीक्षण और रख–रखाव किया जा सके तथा इनका संचालन योग्यता प्राप्त एवं प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा किया जाता है। जमाकर्ताओं के अनुरोध पर अधिकतर वेअरहाउसों में रख–रखाव तथा परिवहन सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। यह कार्य प्रतियोगी दरों पर नियुक्त ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है। जमाकर्ता के अनुरोध पर माल को रेल द्वारा अन्य स्टेशनों पर भी भेजा जाता है। चुनिन्दा केन्द्रों पर शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के भण्डारण के लिए शीतागार तथा वातानुकूलित सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। औद्योगिक उत्पादों के भण्डारण के लिए वेअरहाउस तथा आयातित वस्तुओं के भण्डारण के लिए न केवल बन्दरगाह वाले शहर में वरन् अन्तर्देशीय स्थानों पर भी बॉन्डेड वेअरहाउसों की स्थापना की गई है। राज्य भण्डारण निगमों, राज्य सरकारों, सहकारी समितियों तथा अन्य संगठनों के प्रबन्धकीय व तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों के प्रशिक्षण की आज व्यवस्था की गई है ताकि सभी को वेअरहाउसिंग तकनीक की भरपूर जानकारी मिल सके।

निःसंदेह आज एक **कार्यकुशल भण्डारण व्यवस्था** की नितान्त आवश्यकता है। मूल्यों के स्थिरीकरण में भण्डारण उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं दोनों के लिए वरदान है। समय की माँग है कि गंगा रूपी प्रवाह के समान विभिन्न स्थानों पर भण्डारण रूपी आर्थिक मन्दिर की योजना के नए युग का सूत्रपात हो। भण्डारण का प्रकाश सूर्य की किरणों की तरह स्वंय नहीं फैलता, इसके लिए भगीरथ प्रयास की आवश्यकता होती है। भण्डारण की सुविधाओं के आधुनिकीकरण से उत्पादों का बेहतर और लाभदायक ढंग से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है जिसके लिए आज गम्भीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है। अतः tu&tu d fy, vkèkfud HkMkj.k 0;oLFkk सुनिश्चित करना आवश्यक ही नहीं बल्कि समृद्धि के लिए भी उपयोगी है। ❑

केन्द्रीय भंडारण निगम की आईजीएमआरआई, हापुड़ में प्रशिक्षण सुविधाएं

केन्द्रीय भंडारण निगम ने आईजीएमआरआई, हापुड़ के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा संबंधित सुविधाओं का प्रबन्धन लेने के लिए विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में वर्तमान में किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि वस्तुओं के फसल उपरांत प्रबन्धन में प्रशिक्षण के उद्देश्य से उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु 25.10.2012 आईजीएमआरआई, हापुड़, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर पाँच वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षर किये गये जो 25 अक्तूबर, 2012 से प्रभावी हैं। समझौता ज्ञापन में स्पष्ट है कि केन्द्रीय भंडारण निगम आईजीएमआरआई, हापुड़ को उत्कृष्ट संस्था के रूप में विकसित करेगा ताकि खाद्यान्नों के फसल उपरांत प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए सार्क देशों, पड़ोसी एवं अन्य देशों के विदेशी प्रतिभागी प्रशिक्षण के लिए आकर्षित हों।

केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा इस संस्थान में अपने स्वयं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ–साथ आईजीएमआरआई, हापुड़ द्वारा किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मई, 2013 से शुरू कर दिया गया है। तथापि आईजीएमआरआई, हापुड़ की वर्तमान सुविधाएं तथा पृष्ठभूमि नीचे दी गई है:–

प्रयोगशाला (पैस्ट नियंत्रण के अधीन)

- भौतिक विश्लेषण प्रयोगशाला
- रसायन विश्लेषण प्रयोगशाला
- उपकरण विश्लेषण प्रयोगशाला

संग्रहालय

संस्थान का एक सुव्यवस्थित संग्रहालय है जिसमें ब्लो–अप्स, मैगनीफाइंग लैन्स बॉक्स, पारम्परिक और मॉर्डन भंडारण संरचना तथा कीट–पैस्ट एवं नक्शे इत्यादि के द्वारा खाद्यान्नों की वैज्ञानिक भंडारण संरचना के विभिन्न पहलुओं का क्षेत्रवार आकर्षक प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही खाद्यान्नों की क्षति करने वाले चूहों, पक्षियों तथा कीटों का प्रदर्शन किया गया है।

पुस्तकालय

संस्थान का सुविकसित विस्तृत पुस्तकालय भी है जिसमें कृषि अनुसंधान से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशेषतः खाद्यान्नों के फसल उपरांत प्रचालनों, अनाज रसायन, कीटनाशक, कीट विज्ञान, खाद्य पदार्थ, मसाले, बीजों, रोग विज्ञान, विपणन और कृषि अभियांत्रिकी आदि की अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध 8500 पुस्तकें और 47 पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। आईजीएमआरआई के पुस्तकालय ने विभिन्न देशों की 17 विदेशी पत्रिकाएं तथा 22 ख्याति प्राप्त भारतीय पत्रिकाओं के लिए अंशदान दिया है ताकि न केवल भारत अपितु अन्य देशों में हो रहे अनुसंधान से संबंधित नई जानकारियां प्राप्त हो सकें।

आउटडोर भंडारण संरचना यार्ड

आईजीएमआरआई परिसर में आउटडोर भंडारण संरचना यार्ड छात्रावास भवन के सामने है। यार्ड में विभिन्न क्षमताओं तथा कई प्रकार की मैटेलिक (धातु) एवं नॉन–मैटेलिक (गैर धातु) की समृद्ध विरासत है।

छात्रावास

संस्थान में 50 प्रशिक्षुओं को समायोजित करने की क्षमता वाला एक सुसज्जित छात्रावास है, जिसमें वाजिब दरों पर भोजन तथा आवास की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

मनोरंजन

मनोरंजन के लिए एक टी.वी.का कमरा एवं टेबल टेनिस हॉल अलग से रखा गया है। साथ ही एक बैडमिंटन कोर्ट भी खुले आंगन में उपलब्ध है। ❑

* साभार, के.भ.नि., प्रशिक्षण कैलेंडर

प्रौद्योगिकीकरण : अनिवार्यता, प्रतिबद्धता एवं विविधता

एस. नारायण*

विज्ञान और तकनीकी के साथ–साथ विश्व के हर राष्ट्र में प्रौद्योगिकीकरण की अनिवार्यता लगभग सर्वमान्य हो गयी है। धरती, धरती के गर्भ, धरती के वितान–आकाश, अंतरिक्ष और रत्नगर्भ समुद्र में छिपे गूढ़ रहस्यों का जैसे–जैसे अनावरण हो रहा है, बुद्धिजीवियों के सम्मुख नई–नई चुनौतियों का असीम भण्डार खुलता जा रहा है। प्राकृतिक सम्पदाओं का अपरिमित दोहन, निर्माण की जगह विनाश का रूप लेता जा रहा है। प्रदूषण की राक्षसी लीला प्राणीजगत, वनस्पति जगत और भौतिक सम्पदाओं के विघटन का मूल कारक बन गई है।

वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए नवीन एवं स्वच्छ तकनीकियों को लाने का सामाजिक और नैतिक दबाव बढ़ रहा है। अतः विकास की नई परिभाषा उभर आई है जिसके अनुसार विकास उसे माना जाए जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी इस धरती को प्रदूषण रहित रखते हुए कार्य करे। इसे स्थायी एवं स्वच्छ विकास की संज्ञा दी गई है। यह कहना अनुचित न होगा कि हम सबकी इस नवीन विकास के प्रति सजगता एवं प्रतिबद्धता है। अफ्रीका के नमीब रेगिस्तान का एक क्षुद्र भृंगी 'नमीब बीटल' नम हवाओं से जलार्जन हेतु शीर्षासन करता है, जिससे उसके परों पर ठहरने वाले पानी के कण बहकर उसके मुख में आ जाते हैं। इसी मरुस्थल में गर्म रेत 50 डिग्री सेंटीग्रेट पर लट्टू की तरह नाचकर गर्मी कम करने वाली छिपकली, पहिये की तरह लुढ़क कर भागने वाली मकड़ी और दायें–बायें कलाबाजी करने वाली साँपों की प्रजातियां (साइड वाईडर), बहुमूल्य जीवन की रेखा हेतु अनवरत प्रयत्न करने का संदेश देती हैं।

''पश्येम शरदः शतः, जीवेम शरदः शतः''

विकास के पीछे भी जीवन सरंक्षण एवं जीवन संवर्धन का गुरु मंत्र ही निहित है। हमने प्रकृति की सीख का दुरुपयोग किया है। उदाहरणार्थ आयुर्वेद (आयुषः + वेदः = आयु का वेद) में धूम्रपान का उल्लेख है। औषधियों के धूम्र को एक नलिका द्वारा श्वास के जरिए लिया जाता था। यह प्रक्रिया वास्तव में 'यज्ञ' का केन्द्रित रूप है। उल्लेखनीय है कि जिस धूम्रपान से राजयक्ष्मा (टी.बी.) रोग तक का निदान संभव होता था, वही प्रक्रिया वर्तमान में विकृत होकर बीड़ी, सिगरेट, चुरूट, सिगार आदि का रूप लेकर राजयक्ष्मा, कैंसर आदि को जन्म दे रही है।

वृक्ष तुम बोधिसत्व हो,
किस–किस पर अपना 'आप' नहीं लुटा देते–
हवा को सुगंध, पशु को पात, मुनि को छाल
भंवरे को फूल, पंछी को फल थके को छाया,
मतवाले हाथी के कंधे सा तना तुम्हारे आगे
सच, और सब छोटे हैं।

'अज्ञात'

अगर हमने वृक्षों से सबक नहीं लिया तो वृक्ष हमारी संवेदनहीनता के दण्ड स्वरूप, क्रमिक रूप से विलुप्त हो सकते हैं और हमारे परिवेश का संतुलन बिगाड़ कर हमें अपनी दानशीलता की पात्रता से वंचित कर सकते हैं।

हरित प्रौद्योगिकी, विकास क्षेत्र में मनुष्य द्वारा पर्यावरण को की गई क्षति और भविष्य में संभावित नुकसान को कम करने का एक सक्षम पहलू है जिससे पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं विकास कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं।

रसायन उत्पादन से मनुष्य की जीवन शैली सुलभ, स्वस्थ और संपन्न होती जा रही है। प्लास्टिक, पैट्रोल, उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयां, सभी दैनिक जीवन को सरल, सहज और स्वीकार्य बना रहे हैं। परन्तु यह सुविधाएं रसायन कारखानों से बिना धुंआ, बिना विषैले पदार्थों की उत्पत्ति के नहीं बनती हैं। अतः विश्व की समस्त सरकारें इस गहन विषय पर सख्त कानून और उल्लंघन पर सख्त सजा का प्रावधान बना रही हैं।

इस चिंतन ने हरित प्रौद्योगिकीकरण और हरित रसायनिक कार्य को जन्म दिया है। रोकथाम इलाज से बेहतर के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए यह चेष्टा की जा

* पूर्व उप महाप्रबंधक (कार्मिक), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

रही है कि यथासमय रसायनिक उत्पादन से निकलने वाले अनावश्यक पदार्थों का उत्पादन कम से कम हो जिससे पर्यावरण को कम से कम दूषित रखा जा सके।

श्री पाल अनास्टास और श्री जॉन वार्नर ने अपनी पुस्तक ग्रीन केमेस्ट्री–थ्योरी एंड प्रैक्टिस में बारह (12) सिद्धान्तों का वर्णन किया है जो रसायन शास्त्रियों को पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाते हुए उत्पादन करने की दिशा देता है। ये सिद्धान्त हैं–

1. अपशिष्ट उत्पाद की रोकथामः किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में अपशिष्ट उत्पाद (Waste Product) का निकलना स्वाभाविक है। अतः रासायनिक प्रक्रिया का संचालन इस प्रकार किया जाए कि कम से कम अपशिष्ट उत्पाद निकले।

2. परमाणु मितव्ययता (Concept of Atom Economy) का विचार श्री बैरी ट्रास्ट (Barry Trost) ने 1991 में विकसित किया। इस विचारधारा का उद्देश्य ऐसी तकनीकी का विकास करना था कि जिससे अत्यधिक अभिकारक परमाणु (Reactant Atoms) का समावेश मूल उत्पादन में हो सके। अपशिष्ट उत्पाद (Waste Product) और उपोत्पादन (By Product) कम से कम हों। परमाणु मितव्ययता को गणन करने के लिए निम्न फार्मूले का प्रयोग होता है–

$$\text{परमाणु मितव्ययता की प्रतिशत मात्रा} = \frac{\text{उत्पादन में परमाणु की मात्रा x 100}}{\text{अभिकारक में परमाणु की मात्रा}}$$

3. कम से कम हानिकारक रसायन का उत्पादनः जहां तक हो सके ऐसी तकनीक का विकास किया जाए जिससे कम से कम रसायनों का उत्पादन हो।

4. ऐसे रसायनों का उत्पादन जो इस्तेमाल करने में अति सुरक्षित हो तथा जिनका कोई दुष्प्रभाव न हो।

5. उत्पादन में सुरक्षित विलायकों (Solvents) और पूरकों (Auziliaries) का उपयोग।

6. रासायनिक उत्पादन सुरक्षित तापमान और हवा के दबाव के अंतर्गत हो जिससे पर्यावरण दूषित न हो।

7. उत्पादन में ऐसे कच्चे माल का प्रयोग किया जाए जिसका नवीनीकरण अथवा पुनःस्थापन हो सके। (Use of re-newable raw material or feed stock)

8. रासायनिक समीकरणों (Chemical Reactions) में अमौलिक (Derivations) तत्वों का कम से कम प्रयोग हो चूंकि अमौलिक तत्वों के इस्तेमाल से अपशिष्ट उत्पाद (Waste Product) बढ़ जाता है। इस तरह की रासायनिक प्रक्रियाएं कम परमाणु मितव्ययी होती हैं।

9. रासायनिक प्रक्रियाओं में उत्प्रेरकों (Catalysts) का इस्तेमाल करना– उत्प्रेरक बहुत कम मात्रा में ही उत्पादन कार्य को कम तापमान में ही पूरा करने में सहायक होते हैं। ऐन्जाइम्स को जैविक उत्प्रेरक (Biocatalysts) कहा गया है। यह सामान्य तापमान और हवा के दबाव में ही प्रक्रिया को पूर्ण करने में सफल होते हैं। ज्यादातर प्रक्रियाएं उत्प्रेरकों की मदद से ही जलीय माध्यम (Aqueous Medium) सम्पन्न होती हैं। अतः ऐसी प्रक्रियाओं में परमाणु मितव्ययता सबसे अधिक पायी गयी है।

10. रासायनिक उत्पादन जहां तक सम्भव हो, इस्तेमाल के बाद सुरक्षित तत्वों में परिवर्तित किए जा सकें। (Biodegradble after use) जिससे वे वातावरण में एकत्र न हो सकें।

11. विश्लेषणात्मक विधियों को प्रदूषण कम करने के लिए प्रयोग करना जिससे उपोत्पादन (By Product) का पता लगाकर उसका उत्पादन कम किया जा सके।

12. रासायनिक पदार्थों के भौतिक आकार (Physical State) ठोस, द्रव्य अथवा गैस का चयन ठीक प्रकार से करना चाहिए जिससे रासायनिक कारणों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उदाहरणार्थ– 3 दिसम्बर, 1984 में हुआ भोपाल गैस काण्ड।

कुछ हरित प्रौद्योगिकी के उदाहरण हैं–

(क) बैरी ट्रास्ट का परमाणु मितव्ययता सिद्धान्त।

(ख) विकल्पों की खोज।

(i) इबूप्रोफेन (ibuprofen) दवाई का उत्पादन–1960 में इंग्लैण्ड की बूट्स कम्पनी ने इबूप्रोफेन दवाई का उत्पादन रासायनिक प्रक्रियाओं को छः चरणों में पूरा करते हुए किया जिसमें परमाणु मितव्ययता 40.1 प्रतिशत थी जबकि हरित प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर BHC कम्पनी ने इसी दवाई का उत्पादन तीन चरणों में 77.4 प्रतिशत परमाणु मितव्यता से किया।

(ii) कार्बन डाईआक्साइड गैस का विलायक (Solvent) के रूप में ड्राइक्लीनिंग में उपयोग किया जाना पूर्णतः सुरक्षित है। जबकि पहले परक्लोरोइथीन (एक संभावित कैंसर कारक) का प्रयोग होता रहा है।

(iii) सुरक्षित कीट–नाशकों का उत्पादन।

(iv) क्लोरीन (विषैली गैस) की जगह अब हाइड्रोजन पर आक्साइड, एक सुरक्षित विकल्प बन गया है।

(v) सोया का आटा अब लकड़ी चिपकाने के लिए फार्मलडिहाइड रेजिन का विकल्प बना है (हरक्यूलस इन्कोर्पोरेशन)

मर्दनम् (Trituration) गुण वर्धनम् अथर्ववेद का नैनो सिद्धान्त है। सारा विश्व आज 'नैनो' तकनीकी पर कार्यरत है। हमारे पूर्वज जयंत और उद्योतकर ने प्रकाश किरणों को खोज कर सूर्य के सप्ताश्व रथ का वर्णन किया जो प्रकाश के सतरंगी (Spectrum) होने का द्योतक है। भारतीय नवोन्वेषण डॉ. ए.के. पान्डा और रघुवंश के. सिंह (ओडिशा) ने हाल ही में एक किलोग्राम प्लास्टिक के कचरे से 700 ग्राम तरल ईंधन तैयार करने की तकनीकी दी है (संचूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलोजी एण्ड मैंनैजमेन्ट एवं नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, ओडिशा)

आज के संदर्भ में युवा पीढ़ी को भारतीय पारम्परिक ज्ञान को खंगाल कर शोधपरक एवं व्यावसायिक चिंतन करके आधुनिक तकनीकों की सहायता से उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित करना चाहिए। श्री लक्ष्मण प्रसाद द्वारा लिखी पुस्तक छात्र–छात्राएं : कैसे इनोवेटर (Innovator) बनें और करोड़पति भी एक पठनीय पुस्तक है। प्रकाशन (सचिव सी. बी. गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ, ग्राम सिधारपुर, अलीगढ़ मथुरा रोड)

हरित रसायन के अंतर्गत प्रचलित नवोचार के कुछ विकल्पों के उदाहरण हैं–

– वनस्पति तेलों से निर्मित फोम कुशन पालीयॉल जो पॉलीयूरीथेन का विकल्प है। (कारगिल इन्कोरेपोरेशन)
– विषैली फार्मलडिहाइड के स्थान पर 'सोया आटा' से बना ग्लू प्लाईवुड बनाने में सक्षम है। (हरक्यूलस इन्कोरेपोरेशन)
– खाने के तेलों व घी को हानिकारक ट्रांस फैट्टी एसिज हरित बनाने वाली मिडलैंड कंपनी+नोवोजाइम।
– विषैली सीएफसी (क्लोरोफ्लोरो कार्बन) की जगह कार्बन डाईआक्साइड का प्रयोग फोम ब्लोइंग एजेंट की तरह (डाऊ कम्पनी)।
– ट्राई ब्यूटिल टिन आक्साइड (TBTO) जो विषैला और जिद्दी रसायन है, पानी के जहाजों पर से पौधे और मोलस्क आदि को हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। रोहम एण्ड हास कम्पनी ने ''सीनाइन'' नामक कम विषैला 3–आइजोथायोजोलोन बनाकर एक उत्तम एंटीफाउलेंट (Antifoulant) विकल्प दिया है।

हरित रसायन को कार्यान्वित करते–करते कुछ देशों ने खाद्यान्नों का दोहन (exploitation) भी शुरू कर दिया है।

यह कैसी प्रौद्योगिकी है!
सूखा और फाका!!
भूखा रह गया भूखा!!!
'डीजल' का अब स्रोत मक्का

डॉ. एस. भानुमती

विकसित देशों में मक्के की फसल डीज़ल उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने लगी है। खाद्यान्नों से ईंधन प्राप्ति का विकल्प तर्कसंगत नहीं लगता परन्तु जानकार मानते हैं, विकास की शृंखला में ऐसे नवोचार पैठ बनाने से पीछे नहीं हटते हैं।

उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग (उपयोग/दुरुपयोग) हरिताभ क्षेत्रों के विघटन एवं विश्व मानचित्र से उनके विलुप्ति का कारक बनकर पशुधन के विकास में घटते चारे का कारण बन रहे हैं। फलतः विश्वभर में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, दावाग्नि, सूखा, अकाल और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ–साथ 'खाद्य समस्या' का विकराल रूप **'खाद्य सुरक्षा'** (Food Security) की अनिवार्यता की ओर ध्यान बटा रहा है।

''भंवरों के भार से झुके, फूलों से मधुपराग झरता है,
घनी–घनी छाया में बटोही को घर–सा चैन मिलता है
फलों से भूख मिटती, पास के सोते से प्यास।''

अज्ञात

कवि की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए स्वस्थ फल और स्वच्छ सोता भी तो उपलब्ध हो...

जो संसार में है उसे संभालना होगा, संवारना होगा और अधिक की कामना अथवा लालसा व्यर्थ है...

''ढाक के तीन ही पात, चौथा लगे न पांचवें की आस!!''

आज मनुष्य में पर्यावरण के संदर्भ में जागरूकता आने लगी है चूंकि मानव ही नहीं, समस्त प्राणी जगत का अस्तित्व वनस्पति और पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। यदि वनस्पति और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया तो निश्चय ही प्राणी जगत का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। ❑

कौशल भारत–कुशल भारत

नम्रता बजाज*

भारत विकासशील देश के रूप में उभर रहा है। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान दो प्रेरक बल हैं। वर्तमान वैश्विक माहौल में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौती से निपटने में वे देश आगे हैं जिन्होंने कौशल का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है। हमारी अर्थव्यवस्था को इसका लाभ तभी मिलेगा जब हमारी जनसंख्या विशेषकर युवा स्वस्थ, शिक्षित और कुशल होगी। रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करके ये युवा परिवर्तन के प्रतिनिधि हो सकते हैं। वे न केवल अपने जीवन को प्रभावित करने के काबिल होंगे बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है।

नवगठित कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। इसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। कार्यक्रम के तहत तृतीय पक्ष आकलन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षुओं को नकद पारितोषिक दिया जाएगा।

कौशल प्रशिक्षण एनएसडीसी द्वारा हाल ही में संचालित कौशल अंतर अध्ययनों के जरिए मांग के आकलन के आधार पर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों पर जोर होगा और विशेषकर कक्षा 10 व 12 के दौरान स्कूल छोड़ गये छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके तहत सेक्टर कौशल परिषद व राज्य सरकारें भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे। युवाओं को कौशल मेलों के जरिए जुटाया जाएगा और इसके लिए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। कौशल व उद्यम विकास वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यह अभियान भारत को एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए अहम पहल है।

इस दिशा में उठाये गए सभी उपायों को शामिल करने के लिए एक नयी राष्ट्रीय कौशल व उद्यम विकास नीति भी तैयार की गयी है। इस नीति के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल के साथ विकास को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार ने देश के विकास के लिये अनेक कार्यक्रम शुरु किये जैसे– 'डिजीटल इंडिया', 'मेक इन इंडिया' आदि। इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत 'कौशल विकास अभियान 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम भी शुरु किया गया। ये एक बहु–आयामी विकास योजना है जिसके अन्तर्गत भारतीयों को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वो अधिक से अधिक रोजगार का सृजन कर सकें।

कौशल भारत, कुशल भारत की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट किया कि ये सरकार की गरीबी के खिलाफ एक जंग हैं और भारत का प्रत्येक गरीब और वंचित युवा इस जंग का सिपाही है। इस योजना की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री, नरेंन्द्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को अंतरराष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है और युवाओं के कौशल के विकास के लिए उन क्षेत्रों

* प्रबंधक (राजभाषा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

में और अधिक अवसर प्रदान करना है जो कई वर्षों से अविकसित हैं। इसके साथ ही विकास के नये क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें विकसित करने का प्रयास भी करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में, "कौशल विकास योजना, केवल जेब में रुपए भरना नहीं है, बल्कि गरीबों के जीवन को आत्मविश्वास से भरना है।" इस प्रकार इसके मुख्य उद्देश्य हैं– गरीबी के कारण जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उनके अन्दर छिपे कौशल को विकसित करना और योजनाबद्ध तरीके से गरीबों और गरीब नौजवानों को संगठित करके उनके कौशल को सही दिशा में प्रशिक्षित करके गरीबी का उन्मूलन करना, गरीबी को दूर करने के साथ–साथ गरीब लोगों, परिवारों तथा युवाओं में नया सामर्थ्य भर कर उनमें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास लाना तथा देश में नयी ऊर्जा लाने का प्रयास करना, सभी राज्यों और संघ राज्यों को संगठित करके आई.आई.टी. की इकाईयों के माध्यम से दुनिया में स्वंय को स्थापित करना, भारत की लगभग 65% जनसंख्या (जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है) को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिये कौशल एंव अवसर प्रदान करना, देश के युवा और नौजवानों के लिये रोजगार उपलब्ध कराने एवं उन्हें रोजगार के योग्य बनाने के लिये पूरी व्यवस्था के निर्माण को देश की प्राथमिकताओं में शामिल करना, आने वाले दशकों में पूरी दुनिया में कार्यकुशल जनसंख्या की आवश्यकता को पूरी करने के लिये विश्व के रोजगार बाजार का अध्ययन कर, उसके अनुसार देश के युवाओं को प्रत्येक क्षेत्र में आज से ही कुशल बनाना एवं देश के युवा जिस कौशल (जैसेः गाड़ी चलाना, कपड़े सिलना, अच्छी तरह से खाना बनाना, साफ–सफाई करना, मकैनिक का काम करना, बाल काटना आदि) को परंपरागत रुप से जानते हैं, उनके उस कौशल को और निखारकर व प्रशिक्षित करके उस व्यक्ति के कौशल को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास के साथ उद्यमिता और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना और सभी तकनीकी संस्थाओं को विश्व में बदलती तकनीकी के अनुसार गतिशील बनाना। प्रशिक्षण देने के लिये विभिन्न श्रेणियों को लिया गया है, जैसे वे बच्चे जिन्होंने स्कूल या कॉलेज छोड़ दिया है और कुछ बहुत अधिक प्रतिभाशाली लड़के और लड़कियाँ आदि। इसके साथ ही गाँव के वो लोग जो हस्तशिल्प, कृषि, बागवानी आदि का परंपरागत कौशल रखते हैं, उनकी आय को अधिक करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। इस योजना में न केवल उद्यमी संस्थाओं को जोड़ा गया है बल्कि, पूरे भारत में कार्यरत सभी गैर–सरकारी संस्थानों से भी संबंध स्थापित किया गया है। योजना के बारे में और अधिक जानकारी का प्रचार–प्रसार करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। ''कौशल भारत'' के अंतर्गत चार योजनाएं भी हैं– 1. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, 2. कौशल विकास एवं इंटरप्रेंयूर्शिप के लिए राष्ट्रीय नीति, 3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 4. स्किल लोन स्कीम।

कौशल भारत, कुशल भारत योजना का मुख्य लक्ष्य देश के गरीब व वंचित युवा हैं, जिनके पास हुनर तो है पर उसके लिये कोई संस्थागत प्रशिक्षण नहीं लिया है और न ही इसकी कोई मान्यता उनके पास होती है। युवाओं के इस हुनर को प्रशिक्षण द्वारा निखारकर उनके लिए रोजगार का सृजन करना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। साथ ही, भारत में तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाकर उसे विश्व मांग के अनुरूप ढालना है। इस योजना की घोषणा के समय पी.एम. मोदी ने भाषण देते हुये कहा था कि भारत में परंपरागत शिक्षा पाठ्यक्रम प्रचलन में जिससे कि हम विश्व में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के साथ अपने आप को गतिशील नहीं बना पाये हैं और आज भी बेराजगार हैं, इसके लिये आवश्यक है कि हम अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम में विश्व मांग के अनुसार बदलाव लायें। आने वाले दशकों में किस तरह के कौशल की माँग सबसे अधिक की जायेगी उसका अध्ययन करके अपने देश में उस अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार यदि युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे तो भारत के युवाओं को रोजगार के सबसे अधिक अवसर मिलेंगे। इस तरह कौशल भारत, कुशल भारत एक आन्दोलन है, न कि सिर्फ एक कार्यक्रम।

विशेष कार्यक्रम को पूरा करने वाले युवाओं को मंत्रालय द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। एक–बार प्रमाण पत्र मिलने के बाद इसे सभी सरकारी व निजी, यहाँ तक कि विदेशी संगठनों, संस्थाओं और उद्यमों द्वारा भी वैध माना जायेगा। कौशल भारत, कुशल भारत सम्पूर्ण राष्ट्र का कार्यक्रम है। इस मिशन का उद्देश्य उचित प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं में आत्मविश्वास लाना है, जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इस योजना के माध्यम से सरकारी, निजी और गैर–सरकारी

संस्थानों के साथ–साथ शैक्षिक संस्थाएं भी सम्मलित होकर कार्य करेंगी। इस मिशन के कुछ मुख्य लाभ हैं– कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करके भारत में बेरोजगारी की समस्या के निवारण में सहायता, उत्पादकता में वृद्धि, गरीबी खत्म करने में सहायक, भारतीयों में छिपी योग्यता को बढ़ावा देने में सहायक, राष्ट्रीय आय के साथ–साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार। इस अभियान को जागरुकता अभियानों के साथ लोगों को उनके हुनर में कुशल करके भारत से बहु–आयामी समस्याओं का निराकरण करना है। **प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में, "मैं भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिये पूरे राष्ट्र को प्रतिज्ञा करने के लिये आह्वान करता हूँ।"**

भविष्य के बाजारों के लिए कौशल विकास से लेकर मानव संसाधन विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अवश्य ही हमारी अर्थव्यवस्था को पूर्ण लाभ मिलेगा। नई नीति के तहत मिशन के तौर पर लागू की गई यह योजना मानव संसाधन और उद्योग के विकास में एक नए युग की शुरुआत करेगी। ❑

बदलते मूल्य

डॉ. मीना राजपूत*

कभी थी समाज में–
सभ्यता, संभ्रान्तता, आध्यात्मिकता
नैतिक मानवीय मूल्यों, मान्यताओं की महत्ता
बड़ों का आदर, आदर्श की सत्ता
अपनों में प्यार, पास–पड़ोसियों में मित्रता
विचारों की प्रौढ़ता, चिन्तन की गंभीरता
हृदय की पवित्रता, आत्मिक पूर्णता
आचार में दृढ़ता, व्यवहार में कुशलता
दयालुता, सच्चरित्रता, सज्जनता, विनम्रता।

आज चहुँ ओर फैली समाज में–
विलायती सभ्यता, स्थूलता
दंभपूर्ण, बनावटी, खोखली प्रतिष्ठा
संवेदनशून्यता, अमानवीयता, अधीरता
क्रूरता, कुरूपता, विक्षिप्तता, बर्बरता
बातचीत और व्यवहार में उन्मुक्तता, नग्नता।

समाज को इंतज़ार है–
फिर वही पुरानी
क्षमाशीलता, विचारशीलता, विचारों की परिपक्वता
विश्वसनीयता, विवेकशीलता, विनयशीलता
रिश्तों की गांभीर्यता, स्वभाव में पारदर्शिता
लज्जाशीलता, सत्यवादिता, सरलता, निर्भीकता
आत्म–निर्भरता, सामाजिकता, राष्ट्रीयता।

* सहायक प्रबंधक (रा.भा.), क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई

मेरे खुदा

राजीव शर्मा*

वैसे हर पल तेरा नाम लेता हूं
तू कहीं भी हो पास बुला लेता हूं
तू कहीं दूर चला ना जाए
इसी सोच से बस, सो नहीं पाता हूं
इसीलिए रातों को करवट में गंवा देता हूं
अब मैं खुश हूं कि बचे हैं दिन थोड़े
इसी उम्मीद में हर दिन को बिता देता हूं
फिर नई सुबह और बस तू
मौज हर पल है, उसका मजा लेता हूं
नासमझ हूं, कम अक्ल हूं
थोड़ा पागल भी, पर भिखारी नहीं हूं
जितना देता है तू, उतना लुटा देता हूं
तेरे होने का बस अहसास है मेरा दम
बस, उसी दम पर मैं खुद को दीवाना बना लेता हूं।

* पूर्व सहायक महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

केन्द्रीय भंडारण निगम ने

केन्द्रीय भंडारण निगम ने 02 मार्च, 2017 को देश भर में 61वां स्थापना दिवस मनाया। निगमित कार्यालय द्वारा आयोजित समारोह में श्री रामविलास पासवान, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, मुख्य अतिथि तथा श्री सी.आर. चौधरी, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। माननीय मंत्री जी ने क्षेत्रीय कार्यालयों को उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन पुरस्कार, राजभाषा पुरस्कार एवं विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने केन्द्रीय

स्थापना दिवस मनाया

भंडारण निगम के कार्य-निष्पादन की प्रशंसा की। श्रीमती प्रीति सूदन, सचिव (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण), केंद्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, प्रबंध निदेशक श्री हरप्रीत सिंह, निदेशक (वित्त), श्री वी.आर. गुप्ता, निदेशक (कार्मिक) श्री जे.एस. कौशल, निदेशक (एमसीपी) श्री एस.सी. मुडगेरिकर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। केन्द्रीय भंडारण निगम के कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित उनके परिवारजन इस समारोह में शामिल हुए।

भंडारण एक सामाजिक आवश्यकता

सच्चिदानन्द राय*

आज के दौर में कृषि उत्पादों एवं औद्योगिक उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ–साथ भण्डारण यानि वैज्ञानिक पद्धति से वस्तु को उसकी गुणवत्ता के अनुरूप काफी दिनों तक बरकरार रखना भी बहुत जरूरी हो गया है। पुराने जमाने में औद्योगिक उत्पादों की भण्डारण की व्यवस्था ज्यादा विकसित नहीं थी। आज के दौर में स्पर्धात्मकता का विकास हुआ है। जैसी वस्तु है, उसकी भण्डारण की व्यवस्था बिल्कुल उस वस्तु के अनुरूप उपलब्ध कराई जाती है। मौसमी सब्जियां, फूल, फल आदि दूसरे मौसम में भी मिलने लगे हैं और इसका मुख्य कारण है उसके अनुरूप भंडारण व्यवस्था।

जब देश स्वतंत्र हुआ तो अनेकों समस्याएं सामने थीं। देश के बंटवारे के बाद जनता को भोजन उपलब्ध कराना तथा पारम्परिक खेती से जो अनाज उत्पन्न होता, उसी से जनता का भरण–पोषण होता था। धीरे–धीरे कृषि क्षेत्र में विकास हुआ। उपज बढ़ी। फिर भी दैवि–विपदा से छुटकारा नहीं मिला। सूखे की मार से भारत की सारी जनता भुखमरी की शिकार होने लगी क्योंकि अनाज के भण्डारण की कोई राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था नहीं थी। विदेशों से गेंहू, चावल आयात करना पड़ता था। पूर्व के दशकों में भारत की कृषि की स्थिति दयनीय थी। अनाजों के भण्डारण की व्यवस्था बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में थी।

सन् 1957 में 2 मार्च को भारत सरकार ने केंद्रीय भण्डारण निगम की स्थापना कृषि उत्पाद (विकास और भण्डारण) कारपोरशन्स अधिनियम, 1956 के अधीन की थी। शुरू में सिर्फ सात गोदाम, जो कुल 7000 एमटी की क्षमता के थे, चालू हुए थे। आज केन्द्रीय भण्डारण निगम भण्डारण के क्षेत्र में काफी आगे निकल गया है। 1990 से 2005 तक वेयरहाउसिंग के क्षेत्र में हमारा निगम अग्रणीय रहा है। बाद में सरकार की खुली अर्थव्यवस्था में हम को निजी क्षेत्र से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी नई चुनौतियां हमें आगे बढ़ने में सहायक ही बनेंगी, इतना विश्वास है।

पहले तो पारंपरिक भण्डारण की खामियों को हमने दूर किया। किसानों को प्रशिक्षित कर उन्हें उनके उत्पादों के सही ढंग से भंडारण एवं कीटों से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। उनके उत्पादों को कम भंडारण चार्ज पर भंडारित करना। भंडारित अनाजों की निगोशिएबल रसीद को गिरवी रखकर उसी कीमत पर बैंक से सस्ते कर्ज की व्यवस्था कराना। आजकल तो कॉमाडिटी एक्सचेंज में अनाजों की खरीद–बिक्री इतनी आसान करा दी गयी है कि किसान को अपना माल दूसरे राज्य में या दूसरे बाजार में अच्छी कीमत पर बेचने एवं खरीदने की सहूलियत हो गयी है। किसानों की सुविधा भण्डारण से काफी हुई है। हमारे देश में अनाज का भंडारण भी बढ़ा है और अनाज का निर्यात भी होने लगा है।

पी.ई.जी. गोदाम किसानों के लिए एक वरदान जैसा हो गया है। बड़ा किसान अपनी खाली जमीन में खुद का वेअरहाउस सरकारी कर्ज पर बना सकता है और साथ ही साथ वह एफ.सी.आई. से समझौता कर 20 से 30 साल तक का शर्तिया बिजनेस पा सकते हैं।

हमारा निगम भी इन गोदामों की देख–रेख प्रबंधन के आधार पर करता है। इस प्रकार के वेअरहाउस में हानि की जिम्मेवारी किसान या जिस व्यक्ति ने जमीन दे कर गोदाम बनवाया है, उसकी रहती है। लाभ का कुछेक अंश हमारे निगम को मिलता है। इस प्रकार, निगम अपने सामाजिक दायित्वों जैसे– बस स्टॉप, सामाजिक पंचायत भवन आदि का निर्माण कर ग्रामीण संस्थाओं को समर्पित कर चुका है।

अन्न उपजाना एक सामाजिक जरूरत है जिसमें उस देश की सरकार की साझेदारी सुरक्षा को ध्यान में रख कर करनी चाहिए। अन्न का एक भी दाना यदि नष्ट होता है तो सामूहिक सामाजिक क्षति होगी। इस तरह की व्यवस्था करके अन्न की उपज बढ़ाई जा सकती है एवं संरक्षण के भी विशेष उपाय किये जा सकते हैं। अभी तक की भण्डारण व्यवस्था भाड़े की रही है जिससे अपनापन नहीं झलक पा रहा है। अगर ये व्यवस्था सामाजिक सहयोग पर आधारित हो तथा सामूहिक जिम्मेवारी पर आधारित कर दी जाए तो अन्न की महता एवं उसकी सुरक्षा का दायरा बढ़ जायेगा। ❑

* प्रबन्धक, सी.एफ.एस. अम्बाड–1, नासिक

ठेस

फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 04 मार्च, 1921 को हुआ था। आजादी के बाद के कथा साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु जी भाव, शैली और ''ठेठ देशीयता'' का विशिष्ट रगं–ढंग लिए अलग धरातल पर खड़े दिखाई देते हैं। रेणु ने अपने उपन्यासों में ग्रामीण जन–जीवन की वास्तविक हलचलों, परिवर्तित स्थितियों, टकरावों, तनावों और जटिलताओं तथा विडम्बनाओं को जिस प्रकार उजागर किया उससे वे हिन्दी कथा साहित्य में प्रेमचंद के असली वारिस कहे जाने लगे। रिपोतार्ज लेखक के रूप में भी रेणु ने उल्लेखनीय साहित्य रचा। उन्होंने अपनी कहानियों में ग्रामीण आंचलिक परिवेश के साथ–साथ शहरी जीवन की विभिन्न स्थितियों को भी वस्तु–विन्यास में समेटा। हिन्दी सिनेमा के रूपहले पर्दे पर आयी रेणु की ''तीसरी कसम'' कहानी ने उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया। उनकी रचनाओं में मैला आंचल, ठुमरी, आदिम रात की महक, अगिन खोर, अच्छे आदमी तथा पलटू बाबू रोड आदि प्रमुख हैं।

खेती–बारी के समय, गाँव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, 'बेगार' समझते हैं। इसलिए, खेत–खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा, उसको बुला कर? दूसरे मजदूर खेत पहुँच कर एक–तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा– पगडंडी पर तौल–तौल कर पाँव रखता हुआ, धीरे–धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है।

...आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था, जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े–बड़े बाबू लोगों की सवारियाँ बँधी रहती थीं। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। '...अरे, सिरचन भाई! अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो।

कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से – सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो।'

मुझे याद है... मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, 'भोग क्या क्या लगेगा?'

माँ हँस कर कहती, 'जा–जा, बेचारा मेरे काम में पूजा–भोग की बात नहीं उठाता कभी।'

ब्राह्मणटोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने– 'तुम्हारी भाभी नाखून से खाँट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस साल कर कढ़ी तो हम कहार–कुम्हारों की घरवाली बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई!'

इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ को पूछ लेता...

सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, 'आओ सिरचन! आज नेनू मथ रही थी, तो तुम्हारी याद आई। घी की डाड़ी (खखोरन) के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है न... और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है, मोथी के शीतलपाटी के लिए।'

सिरचन अपनी पनियायी जीभ को सँभाल कर हँसता –'घी की सुगंध सूँघ कर आ रहा हूँ, काकी! नहीं तो इस शादी–ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है?'

सिरचन जाति का कारीगर है।

मैंने घंटों बैठ कर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक–एक मोथी और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। फिर, कुच्चियों को रँगने से ले कर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त... काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेंहुअन साँप की तरह फुफकार उठता –'फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँहजोर है, कामचोर नहीं।'

बिना मजदूरी के पेट–भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले, तो कोई बात नहीं, किन्तु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता।

सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं... तली–बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने–पीने

में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म! काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा –'आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। थोड़ा–सा रह गया है, किसी दिन आ कर पूरा कर दूँगा... 'किसी दिन'– माने कभी नहीं!

मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतलपाटी, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी–चुन्नी रखने के लिए मूँज की रस्सी के बड़े–बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी–टोपी तथा इसी तरह के बहुत–से काम हैं, जिन्हें सिरचन के सिवा गाँव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गाँव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग– बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरुरत नहीं। पेट–भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना–धुराना कपड़ा दे कर विदा करो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा...

कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है... महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुन कर तिलमिला उठी थी– ठहरो! मैं माँ से जा कर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात!'

'बड़ी बात ही है बिटिया! बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो–दो पटेर की पटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिला कर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी!' सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था।

उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिख कर चेतावनी दे दी है –'मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए, कोई बात नहीं। तीन जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की दो शीतलपाटियों के बिना आएगी मानू तो...' भाभी ने हँस कर कहा, 'बैरंग वापस!' इसलिए, एक सप्ताह से पहले से ही सिरचन को बुला कर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने –'देख सिरचन! इस बार नई धोती दूँगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगा कर ऐसा काम करो कि देखने वाले देख कर देखते ही रह जाएँ।'

पान–जैसी पतली छुरी से बाँस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से झब्बे डाल कर वह चिक बुनने बैठा। डेढ़ हाथ की बिनाई देख कर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी।

मँझली भाभी से नहीं रहा गया, परदे के आड़ से बोली, 'पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती।'

काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, 'मोहर छापवाली धोती के साथ रेशमी कुरता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है... मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है।'

मँझली भाभी का मुँह लटक गया। मेरे चाची ने फुसफुसा कर कहा, 'किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूँगिया–लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी। देखती है न।'

दूसरे दिन चिक की पहली पाँति में सात तारे जगमगा उठे, सात रंग के। सतभैया तारा! सिरचन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है, होठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने–पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डाल कर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली – चिउरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास दो रेखाएँ उभर आईं। मैं दौड़ कर माँ के पास गया। 'माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है, सिर्फ चिउरा और गुड़?'

माँ रसोईघर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, 'मैं अकेली कहाँ–कहाँ क्या–क्या देखूँ!... अरी मँझली, सिरचन को बुँदिया क्यों नहीं देती?'

'बुँदिया मैं नहीं खाता, काकी!' सिरचन के मुँह में चिउरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा, अछूता।

माँ की बोली सुनते ही मँझली भाभी की भौंहें तन गईं। मुट्ठी भर बुँदिया सूप में फेंक कर चली गई।

सिरचन ने पानी पी कर कहा, 'मँझली बहूरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल कर बाँटती है क्या?'

बस, मँझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जा कर लगाया – 'छोटी जाति के आदमी का मुँह भी छोटा होता है। मुँह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही... किसी के नैहर–ससुराल की बात क्यों करेगा वह?'

मँझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई –'सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बतकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरुरत हो, मुझसे कहो।'

सिरचन का मुँह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाँस में टँगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा।

मानू पान सजा कर बाहर बैठकखाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली और इधर–उधर देख कर कहा– 'सिरचन दादा, काम–काज का घर! पाँच तरह के लोग पाँच किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो।'

सिरचन ने मुस्कुरा कर पान का बीड़ा मुँह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देख कर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देख कर कहा – 'छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना। बहुत दिन हुए...।'

चाची कई कारणों से जली–भुनी रहती थी, सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, 'मसखरी करता है? तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो? ...चटोर कहीं के!' मेरा कलेजा धड़क उठा... यत्परो नास्ति!

बस, सिरचन की उँगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो, कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुँह में घुलाता रहा। फिर, अचानक उठ कर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हँसियाँ वगैरह समेट सँभाल कर झोले में रखे। टँगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आँगन के बाहर निकल गया।

चाची बड़बड़ाई– 'अरे बाप रे बाप! इतनी तेजी! कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। आठ रुपए में मोहरछाप वाली धोती आती है... इस मुँहझौंसे के मुँह में लगाम है, न आँख में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगी। बांतर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर ले कर गली–गली मारी फिरती हैं।'

मानू कुछ नहीं बोली। चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही... सातों तारे मंद पड़ गए।

माँ बोली, 'जाने दे बेटी! जी छोटा मत कर, मानू. मेले से खरीद कर भेज दूँगी.'

मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतलपाटी दी थी माँ ने। ससुरालवालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठ कर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई।

मैं सिरचन को मनाने गया। देखा, एक फटी शीतलपाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है।

मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी! अब नहीं। कान पकड़ता हूँ, अब नहीं... मोहर छाप वाली धोती ले कर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ...ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआजी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता? यह शीतलपाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतलपाटी को छू कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा... गाँव–भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी... अब क्या?' मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया, कलाकार के दिल में ठेस लगी है। वह अब नहीं आ सकता।

बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी– 'यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू?'

मानू कुछ नहीं बोली... बेचारी! किन्तु, मैं चुप नहीं रह सका– 'चाची और मँझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी।'

मानू को ससुराल पहुँचाने मैं ही जा रहा था ।

स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन–ही–मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर–में–सुर मिला कर कोसने को जी हुआ... कामचोर, चटोर...!

गाड़ी आई। सामान चढ़ा कर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी – 'बबुआजी!' उसने दरवाजे के पास आ कर पुकारा।

'क्या है?' मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा – 'दौड़ता आया हूँ... दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं? एक बार देखूँ!'

मैंने दरवाजा खोल दिया। 'सिरचन दादा!' मानू इतना ही बोल सकी।

खिड़की के पास खड़े हो कर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, 'यह मेरी ओर से है। सब चीज है दीदी! शीतलपाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी, कुश की।'

गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छापवाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दाँत से काट कर, दोनों हाथ जोड़ दिए।

मानू फूट–फूट रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा– ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम, पहली बार देख रहा था। ❑

जी लें जरा

राकेश कुमार*

नन्हें बच्चे की तरह मचलते हुए,
उसने पूरी मासूमियत से कहा–
चलो आसमान से
तोड़ ले कुछ तारे और
सजा लें अपने आंगन में।
पर्वतों के उत्तुंग शिखरों से
हाथ बढ़ाकर, छू लें,
आसमान के कपोलों को।
चांद की शीतल
चांदनी को भर लें आंचल में अपने,
अंजुलि भर कर।
बसंती हवा को
जी–भर समा लें अपनी
उन्मुक्त सांसों में।
छिपा लें, रात में टिमटिमाते
सारे जुगनुओं को
अपनी–अपनी हथेलियों के बीच।
जंगल से आती अछूती गंध को
समेट लें अपने भीतर,
सदा के लिए, और–
जी लें, जी भरकर फिर से।
उतनी ही अधीरता से,
कहा था मैंने–
न जाने कितनी ही
नदियों से बहता है
अपरिमित पानी,
और जीवन गुजरता रहता है,
यूं ही चुपचाप।
मस्तिष्क में उमड़ती हैं
असंख्य अभिलाषाएं,
किंतु–
अलिखित के समक्ष
सभी हो जाते हैं बौने, बेबस और पंगु।
चलो जी लें ज़रा,
एक साथ
अपने–अपने हिस्से की जिंदगी।
पा लें फिर से
जीवन के उसी सत्य को,
जो हो गया था
कहीं अत्यंत अदृश्य,
तेरे और मेरे बीच।
सिंदूरी सपनों के जाल में,
छटपटाहट बढ़ती है,
तब नदी तट पर प्रतीक्षारत,
अवाक खड़ी यही जीवंत अरुणिमा,
जिंदगी का सबक सिखाती है कि–
पानी की तरह अविरल बहती है जिंदगी.

* संयुक्त निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

निगम के क्षेत्रीय कार्यालय–एक परिचय

इस पत्रिका के पाठकों को क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्यविधि एवं इनके अधीन वेअरहाउसों तथा अन्य कार्यकलापों की जानकारी देने के लिए संक्षिप्त परिचय प्रकाशित किया जाता है। इस अंक में जानिये हमारे क्षेत्रीय कार्यालय– हैदराबाद और भोपाल के बारे में।

क्षेत्रीय कार्यालय–हैदराबाद

केंद्रीय भंडारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद अक्तूबर, 1966 में अस्तित्व में आया था। इस क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रदेश शामिल हैं।

वेअरहाउसों का विवरण

केंद्रीय भंडारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के अंतर्गत दिनांक 31.03.2017 को वेअरहाउसों की भंडारण क्षमता तथा उनके उपयोग का विवरण इस प्रकार है:– वर्तमान में केंद्रीय भंडारण निगम **तेलंगाना** राज्य में 1 कंटेनर फ्रेट स्टेशन सहित 17 वेअरहाउसों का प्रचालन कर रहा है, जिनकी भंडारण क्षमता 458315 मीट्रिक टन है। **आंध्र प्रदेश राज्य** में 1 कंटेनर फ्रेट स्टेशन सहित 27 वेअरहाउस का प्रचालन किया जा रहा है, जिसकी भंडारण क्षमता 809366 मीट्रिक टन है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इन वेअरहाउसों की भंडारण क्षमता का उपयोग प्रतिशत क्रमशः 97 तथा 70 प्रतिशत है।

कंटेनर फ्रेट स्टेशनों का विवरण

क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के अधीनस्थ 2 कंटेनर फ्रेट स्टेशन हैं। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान तेलंगाना राज्य में स्थित सीएफएस कुकुटपल्ली में 13451 टीईयू तथा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित सीएफएस, विशाखापट्टनम में 1022 टीईयू हैंडल किये गये।

31.03.2017 को भंडारण क्षमता के उपयोग का वस्तु–वार ब्यौरा इस प्रकार है:–

(लाख मी.टन में)

क्र. सं.	वस्तु का नाम	उपयोग (मी.टन में)		कुल
		तेलंगाना	आंध्र प्रदेश	
1	चावल	2.35	3.30	5.65
2	अन्य खाद्यान्न तथा कृषि उत्पाद	1.56	0.66	3.23
3	सीएफएस/बॉण्डेड	0.33	0.02	0.35
4	औद्योगिक उत्पाद	0.11	1.01	0.11
5	उर्वरक	0.11	0.66	0.77
	कुल	**4.46**	**5.65**	**10.11**

प्रमुख जमाकर्ताओं द्वारा खाद्यान्नों तथा अन्य उत्पादों का भंडारण :

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार निजी पार्टियों सहित अन्य जमाकर्ताओं, भारतीय खाद्य निगम तथा सहकारी संस्थाओं के खाद्यान्न स्टॉक का वास्तविक विवरण नीचे दिया गया है:–

(लाख मी.टन में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	टीएससीएससी	एफसीआई	टी.एस. मार्कफेड	नाफेड	निजी पार्टियाँ/अन्य	कुल
1	तेलंगाना	222111	50000	975	81548	57496	412130

(लाख मी.टन में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	एपीएससीएससी	एफसीआई	ए.पी. मार्कफेड	नाफेड	निजी पार्टियाँ/ अन्य	कुल
1	आंध्र प्रदेश	315712	14000	16264	5186	212014	563176

किसान विस्तार सेवा योजना

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत तेलंगाना राज्य में 391 गाँवों को कवर करते हुए 17083 किसानों को तथा आंध्र प्रदेश राज्य में 552 गाँवों को कवर करते हुए 33311 किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

पैस्ट नियंत्रण सेवाएँ

केंद्रीय भंडारण निगम की पैस्ट नियंत्रण सेवाएँ पादप संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। केंद्रीय भंडारण निगम अपनी पैस्ट नियंत्रण सेवाएँ काफी संख्या में सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/बीमा कंपनियों/निर्यातकों/निजी एजेंसियों आादि को उपलब्ध करा रहा है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान पैस्ट नियंत्रण सेवाओं से तेलंगाना राज्य में 38.46 लाख रुपये तथा आंध्र प्रदेश में 21.25 लाख रुपये की आय अर्जित की गई।

श्रमशक्ति

31.03.2017 के अनुसार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित वेअरहाउसों/सीएफएस के परिचालन के लिए निगम में क्रमशः 166 (तेलंगाना) और 249 (आंध्र प्रदेश) कार्मिक कार्यरत हैं।

भौतिक एवं वित्तीय कार्य–निष्पादन

वित्त वर्ष 2016– 17 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रीय भंडारण निगम का भौतिक एवं वित्तीय कार्य–निष्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है:–

(आँकडे लाख रु. में)

राज्य	क्षमता (लाख मी.टन में)	उपयोग %	आय (रु.)	व्यय (रु.)	लाभ (रु.)
तेलंगाना	4.58	69	61.35	48.79	12.56
आंध्र प्रदेश	8.09	70	80.49	75.58	4.91

किसानों को दी गई छूट

केंद्रीय भंडारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा वित्त वर्ष 2016 – 17 के दौरान किसानों को भंडारण शुल्क पर तेलंगाना राज्य में 7,88,893 रुपये तथा आंध्र प्रदेश राज्य में 8,41,278 रुपये की छूट प्रदान की गई।

हमारे ग्राहक

तेलंगाना राज्य में हमारे ग्राहक :– एफसीआई, एफएसीटी, सीसीआई, एमएमटीसी, नाफेड, एसएफएसी, टीएससीएससी, आरसीएफ, इफ्को, टीएस मार्कफेड, जनगणना निदेशालय, एमएनसी, प्राइवेट जमाकर्ता तथा उत्पादक।

आंध्र प्रदेश राज्य में हमारे ग्राहक :– एफसीआई, एफएसीटी, सीसीआई, नाफेड, आरसीएफ, इफ्को, एपी मार्कफेड, ओएनजीसी, एलआईसी, कृभको, एपीएससीएससी, एमएनसी, प्राइवेट जमाकर्ता तथा उत्पादक

राजभाषा गतिविधियाँ

1. हिंदी में पत्राचार (31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के अनुसार)

कार्यालय में तीनों क्षेत्रों में पत्राचार के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। 31 मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यालय का पत्राचार 'क' क्षेत्र में 55.08 प्रतिशत, 'ख' क्षेत्र में 64.28 प्रतिशत तथा 'ग' क्षेत्र में 57.26 प्रतिशत रहा है।

2. वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

क्षेत्रीय कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में लक्ष्यानुसार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

विवरण निम्न प्रकार है:–

तिमाही का नाम	कार्यशाला केआयोजन की तिथि	प्रशिक्षण कीअवधि	प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या		
			अधिकारी	कर्मचारी	कुल
प्रथम तिमाही	21.06.2016	6 घंटे	16	19	35
द्वितीय तिमाही	09.08.2016	6 घंटे	9	19	28
तृतीय तिमाही	08.12.2016	6 घंटे	9	13	22
चतुर्थ तिमाही	30.03.2017	घंटे	10	14	24

3. वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन

क्षेत्रीय कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का लक्ष्यानुसार आयोजन किया गया। प्रथम तिमाही में बैठक 28.06.2016, द्वितीय तिमाही में बैठक 02.08.2016, तृतीय तिमाही में 03.12.2016 तथा चतुर्थ तिमाही में बैठक 21.03.2017 को आयोजित की गई।

4. वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान किए गए राजभाषा संबंधी निरीक्षण

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान शत–प्रतिशत अधीनस्थ कार्यालयों/अनुभागों के राजभाषा निरीक्षण किये गये। जिनमें 8 अनुभागों तथा 44 कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया।

5. हिंदी पुस्तकों की खरीद

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि हेतु कार्यालय में 3477/– रुपये की हिंदी पुस्तकों की खरीद की गई।

6. हिंदी पत्रिका का प्रकाशन

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ''भंडारण गौरव'' अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका के 2 अंको का सफल प्रकाशन वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान किया गया है।

7. हिंदी पखवाड़ा का आयोजन

क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 01 सितंबर से 15 सितंबर, 2016 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया । जिसमें राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।

क्षेत्रीय कार्यालय–भोपाल

केन्द्रीय भण्डारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय के विभाजन पश्चात् मई, 1979 में अस्तित्व में आया। भोपाल क्षेत्र के अस्तित्व में आने के समय इसकी भण्डारण क्षमता मात्र लगभग 2 लाख मी. टन थी तब से यह क्षेत्रीय कार्यालय लगातार प्रगति कर रहा है। फलस्वरूप जुलाई, 2011 में रीजन की कुल भण्डारण क्षमता बढ़कर 7.93 लाख मी.टन हो गई थी परंतु वर्ष 2011 में एक बार पुनः रीजन का भोपाल क्षेत्र (म.प्र.) और रायपुर क्षेत्र (छत्तीसगढ़) में विभाजन होने के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में 26 भण्डारगृहों के साथ भोपाल रीजन की कुल भण्डारण क्षमता 5.81 लाख मी.टन रह गई। 18 अप्रैल, 2017 को शहडोल में एक नए भण्डारगृह को प्रारम्भ किया गया।

वर्तमान में भोपाल रीजन 1 जून, 2017 को 5.95 लाख मी.टन की कुल भण्डारण क्षमता के साथ 27 भण्डारगृहों का संचालन कर रहा है जिसमें निगम के निजी गोदामों की भण्डारण क्षमता 5.58 मी. टन और किराए के गोदामों की भण्डारण क्षमता 0.37 मी. टन है एवं 1 जून, 2017 तक स्वामित्व और किराए के गोदामों की क्षमता का उपयोग क्रमशः 100% और 106% है। इस साल रबी 2017 में भण्डारण उपयोगिता अधिकतम 101% रही है। भोपाल, कटनी और बुरहानपुर में भंडारण क्षमता को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

भोपाल रीजन के भण्डारगृहों में मुख्य रूप से खाद्यान्न, दालें, तिलहन, औद्योगिक/कस्टम बॉन्डेड वस्तुएं, उवर्रक, चीनी, नमक इत्यादि का भण्डारण होता है। मुख्य जमाकर्ता राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भारतीय खाद्य निगम, मार्कफेड, इफको, आर.सी.एफ., एन.एफ.एल., नाफेड, किसान, वेदान्ता और व्यापारी आदि हैं।

रीजन में सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के एक भाग के रूप में किसानों के बीच वैज्ञानिक भंडारण, सार्वजनिक गोदामों के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना, फसल की कटाई उपरांत भंडारण हानियों से बचने के लिए भण्डारगृह रसीद को गिरवी रखकर ऋण लेने के लिए कृषि समुदाय शिक्षित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 4220 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। किसान विस्तार सेवा योजना के तहत वर्ष 2016–17 में निर्धारित लक्ष्य 6.00 लाख से कहीं अधिक 10.35 की उपलब्धि हासिल की।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग एवं निगमित कार्यालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भोपाल रीजन में विभिन्न आयोजन जैसे सतर्कता जागरुकता सप्ताह, विश्व खाद्य दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा आदि आयोजित किए जाते हैं तथा भण्डारण एवं विकास अधिनियम–2007 के अंतर्गत किसान जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें प्रभावशाली ढंग से सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए सभी अपेक्षित स्तरों पर समुचित कार्रवाई की जाती है।

1. प्रत्येक तिमाही में क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का हिंदी पत्राचार और हिंदी टिप्पण लगभग 90% से 95% के बीच रहता है।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं एवं इन बैठकों में राजभाषा कार्यान्वयन की विस्तृत रूप चर्चा की जाती है और पिछली तिमाही में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में प्रत्येक तिमाही में पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्याशाला का आयोजन किया जाता है जिसमें देश के प्रतिष्ठित लेखक, साहित्यकारों को भी आमंत्रित किया जाता है।
4. प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है।
5. कार्यालय के सभी अनुभागों में शब्दकोष (अंग्रेजी–हिंदी और हिंदी–अंग्रेजी) उपलब्ध कराए गए हैं एवं विभाग द्वारा तैयार की गई शब्दावली लगभग सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई है।
6. कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष पर्याप्त मात्रा में साहित्यिक एवं ज्ञानवर्धक हिंदी पुस्तकें क्रय की जाती हैं।
7. कार्यालय के सभी कंप्यूटरों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
8. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), भोपाल के द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों में कार्यालय प्रमुख के द्वारा भाग लिया जाता है।
9. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), भोपाल के द्वारा आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रतिभागिता की जाती है एवं समय–समय पर पुरस्कार भी प्राप्त किए गए हैं।
10. राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), भोपाल एवं निगमित कार्यालय, नई दिल्ली के द्वारा समय–समय पर किए गए राजभाषा निरीक्षणों में कार्यालय के हिंदी कार्य को सराहा गया है।
11. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), भोपाल, निगमित कार्यालय तथा मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए समय–समय पर पुरस्कृत किया गया है।
12. 06 फरवरी, 2016 में माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने भी निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। ❑

▶ मनुष्य के तीन सद्गुण हैं- आशा, विश्वास और दान।
▶ मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं किन्तु उसके आचरण से जानी जाती है।

किसान के पसीने का आकलन

अरविंद मिश्र*

सुबह उठने से लेकर रात सोने तक
याद करो उसकी मेहनत
जिसने रातों के अंधेरे में रखवाली की
पसीने से सींचा एक–एक दाने को
इसीलिए दाने पर पैर पड़ने पर
चूमकर जेब में रख लेता है
वह चूमता है मिट्टी
उसे सोना लगती है, खेतों की मिट्टी
खेती के काम में लगे–लगे
कई बार भूखा रह लेता है
आसमान से अमृत न बरसने पर
यहां–वहां से जुटाकर पानी
सींचता है दानें
स्वयं कभी–कभी प्यासा रह जाता है
हरा–भरा खेत सब को लुभाता है
जंगली जानवरों के साथ–साथ
राह चलतों की बदनियति पर रखता नजर
ढेर जरूरतों की फेहरिस्त जुड़ी रहती फसल से
घर तक लाने में आती असंख्य अड़चनें
फिर जो राहत मिलती
वह किसी गौरव से कम नहीं
इस सकल परिश्रम की लागत
औने–पौने दाम बिक जाती है मंडी में
एक किलो गेहूं एक बोतल पानी के बराबर
भूख और प्यास दोनों एक तराजू पर साथ–साथ
बाजार नहीं समझता
स्थाई और अस्थाई चीजों के भाव
सब विषम मूल्य पर बिक रहे बाजार में
एयरपोर्ट पर एक लीटर पानी की बोतल
तीस–चालीस रुपया में जबकि गेहूं वही
पन्द्रह से बीस रुपया किलो
एक आदमी 24 घंटे में
चार बोतल पानी खरीदता है
वही आदमी दिन–रात के लिए
तीन–चार किलो गेहूं तो नहीं ही खरीदता
यह करुण स्थाई भाव है गेहूं का
जो अथक परिश्रम से उगाया जा रहा है
पानी मशीनों द्वारा धरती से निकाला जा रहा है
जरूरी है पल में निकालकर
बेचे जाने वाली चीज की कीमत
और चार माह में तैयार होने वाले
गेहूं के दानों की कीमत के
सही आकलन की
जिन्हें 240 लीटर पानी पीकर और
160 किलो अन्न खाकर उपजाया जाता है
इसका सम भाग किसान को बांटना होगा
इस बढ़ती खाई को पाटना होगा।

* अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

विनोबा वाणी

मैंने हिन्दी का सहारा न लिया होता तो कश्मीर और असम से केरल के गाँव–गाँव में जाकर मैं भूदान ग्राम दान का क्रान्तिपूर्ण संदेश जनता तक न पहुंचा सकता। यदि मैं मराठी भाषा का सहारा लेता तो महाराष्ट्र से बाहर और कहीं काम न बनता। इसी तरह अंग्रेजी भाषा लेकर चलता तो कुछ प्रान्तों में चलता, परन्तु गाँव–गाँव में जाकर क्रान्ति की बात अंग्रेजी द्वारा नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिन्दी भाषा का मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है, इसने मेरी बहुत बड़ी सेवा की है।

प्रत्येक प्रान्तीय भाषा का अपना–अपना स्थान है। मैंने अनेक बार कहा है जिस प्रकार मनुष्य को देखने के लिए दो आँखों की आवश्यकता होती है, उसी तरह राष्ट्र के लिए दो भाषाओं, प्रान्तीय भाषा और राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने दो भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य माना है। भगवान शंकर का एक तीसरा नेत्र था जिसे ज्ञान नेत्र कहते हैं। इसी तरह हम लोगों को भी तीसरे नेत्र की जरूरत अनुभव हो तो संस्कृत भाषा का भी अध्ययन लाभकारी सिद्ध होगा और उस समय अंग्रेजी भाषा चश्मे के रूप में काम आएगी। चश्मे की जरूरत सबको नहीं पड़ती। हाँ, कभी कुछ लोगों को उसकी जरूरत पड़ती है। बस इतना ही अंग्रेजी का स्थान है। इससे अधिक नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिन्दी का प्रसार अच्छी तरह व्यापक रूप में होना चाहिए।

निगम द्वारा कीटनाशन एवं पैस्ट नियंत्रण सेवाएं

भारत सरकार ने दिनांक 23 मार्च, 1968 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय भण्डारण निगम को अपने कृषि उत्पाद अथवा अन्य अधिसूचित वस्तुओं से संबंधित वेअरहाउसों के अलावा कीटनाशन–पैस्ट नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में से केन्द्रीय भण्डारण निगम एक ऐसा संगठन है जिसे पौध संरक्षण संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्री–शिपमैंट

प्रधूमन, कार्गो कंटेनर प्रधूमन एवं आयात योग्य वस्तुओं के शिप (ऑन बोर्ड) प्रधूमन की जिम्मेदारी प्राप्त है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम ने एअर इंडिया के विमानों में टाइमर उपकरणों या मशीन का प्रयोग कर कीटनाशन में बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार केन्द्रीय भण्डारण निगम ने राष्ट्रीय कीट नियंत्रण एजेन्सी का स्तर प्राप्त किया है।

पिछले वर्षों में केन्द्रीय भण्डारण निगम ने निम्नलिखित क्षेत्रों में पैस्ट मैनेजमेंट में विशेषज्ञता प्राप्त की है।

• चूहों पर नियंत्रण • घरेलू पैस्ट मैनेजमेंट– कॉकरोचों, मच्छरों, मक्खियों, खटमलों, मकड़ियों, छिपकलियों, कारपेट वीटलेस, पिस्सू, झींगुर, चींटियाँ, ततैया, टिड्डी आदि • भण्डारण पैस्ट मैनेजमेंट • दीमक रोधी उपचार (निर्माण से पूर्व एवं बाद में) • कंटेनर प्रधूमन • जहाज प्रधूमन (ऑन बोर्ड) • निर्यात कार्गो का प्री–शिपमेंट प्रधूमन • रेल कोच का कीटनाशन • विमान कीटनाशन • अस्पताल एवं नर्सिंग होम का उपचार • होटल एवं रेस्टोरेंटों का कीटनाशन • वाणिज्यिक परिसरों एवं कार्यालयों कॉम्पलैक्स का कीटनाशन • तेल रिफाइनरियों का कीटनाशन • एयरपोर्ट एवं पोर्टों का कीटनाशन • दिल्ली मैट्रो रेल परिसरों का कीटनाशन

केन्द्रीय भण्डारण निगम अपने पैस्ट नियंत्रक प्रचालकों को फाइटोसैनिटरी मापकों, एनएसपीएम–11 एवं 12 के अन्तर्गत शुरू किए गए नए राष्ट्रीय मानकों के अधीन मान्यता दिलाने में अग्रणी रहा है। आयात–निर्यात कार्गो की वुड पैकेजिंग सामग्री (डब्ल्यू.पी.एम) को एम.बी.आर. गैस से प्रधूमित करने के लिए एफ.ए.ओ.–आई.पी.पी.सी. के दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु, आई.एस.पी.एम–15 के अनुसार प्रधूमित किया जाता है। केन्द्रीय भण्डारण निगम ने एनएसपीएम–22 के अन्तर्गत कृषि उत्पाद एवं अन्य वस्तुओं के अल्युमिनियम फास्फाइड द्वारा प्रधूमन की सरकारी मान्यता भी प्राप्त की है। ❑

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली के तत्वावधान में निगमित कार्यालय द्वारा आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली द्वारा निगम को आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन पुरस्कार

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित हिन्दी कार्यशाला

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर निगमित कार्यालय में ध्वजारोहण

निगमित कार्यालय के प्रांगण में प्रबंध निदेशक महोदय ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान के साथ गणतन्त्र दिवस समारोह का आयोजन किया।

निगमित कार्यालय में ऑन–लाइन पे–रोल तथा सीपीएफ ऑटोमेशन एप्लीकेशन का उद्घाटन

केन्द्रीय भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक, श्री हरप्रीत सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, निर्माण खण्डों एवं निगमित कार्यालय के लिए ऑन–लाइन पे–रोल तथा सीपीएफ ऑटोमेशन एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर निदेशक (वित्त), श्री वी.आर. गुप्ता एवं निदेशक (एमसीपी) श्री एस.सी. मुडगेरिकर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे।

निगमित कार्यालय में एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

राजभाषा हिंदी में कार्य करने की जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से निगमित कार्यालय द्वारा प्रत्येक तिमाही एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। जनवरी–मार्च, 2017 तिमाही की कार्यशाला दिनांक 24.03.2017 को आयोजित की गई जिसके उद्घाटन अवसर पर निदेशक (कार्मिक) महोदय तथा उप महाप्रबंधक (कार्मिक) उपस्थित थे, जिन्होंने कार्यशाला में सभी को सम्बोधित किया। कार्यशाला में आमंत्रित वक्ताओं ने राजभाषा से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने व्याख्यान देकर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग द्वारा निगमित कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा निगमित कार्यालय का दिनांक 17 फरवरी, 2017 को राजभाषा निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा निगमित कार्यालय में राजभाषा नीति एवं नियमों के अनुसार राजभाषा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और विभिन्न विभागों में जाकर कार्य की प्रत्यक्ष जांच भी की। उन्होंने निगम में राजभाषा की प्रगति के लिए किए जा रहे अनेक कार्यों की प्रशंसा करते हुए उत्तरोत्तर प्रगति के लिए बहुमूल्य सुझाव भी दिए और आशा व्यक्त की कि यह निगम भविष्य में लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए पूर्णतः सफल होगा।

राजभाषा की अन्य गतिविधियाँ

निगमित कार्यालय में हिन्दी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के तत्वावधान में आयोजित हिन्दी टाईपिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित प्रतिभागी एवं अन्य अधिकारीगण।

सीएसआर गतिविधि

निगमित सामाजिक दायित्व के तहत बदी, हिमाचल प्रदेश तथा हाजीपुर, बिहार में नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अंशदान दिया गया।

खेल गतिविधि

गणतंत्र दिवस के अवसर पर निगमित कार्यालय द्वारा आयोजित बैडमिन्टन प्रतियोगिता की झलकियाँ

लॉजिस्टिक्स कारोबार एवं संबंधित गतिविधियां – एक विवेचन

रणधीर सिंह*

इस विषय को भली–भाँति समझने–जानने के लिए हमें सर्वप्रथम 'लॉजिस्टिक्स' शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ को जानना चाहिए। यह शब्द फ्रेंच भाषा के 'लॉजिस्टिक्यू' शब्द से निकला है, जहाँ इसका अर्थ है– 'to lodge'। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में इसका प्रयोग आरम्भ हुआ। कुछ विद्वान इसका स्रोत ग्रीक भाषा को भी मानते हैं जहाँ इसका प्रयोग 'लेखाकार' अथवा 'गणना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति' के अर्थ में होता है।

वर्तमान में लॉजिस्टिक्स उस कारोबार अथवा व्यवसाय को कहते हैं जिसके अन्तर्गत ग्राहकों/प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन से उपभोग बिन्दु तक संबंधित सूचनाओं सहित एक कुशल तथा प्रभावकारी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत योजना के अधीन क्रियान्वयन एवं नियंत्रण किया जाता है। कार्गो के इस प्रकार के सुनिश्चित प्रवाह अथवा उपलब्धता के लिए उसके रख–रखाव, भंडारण, लेखा–जोखा, परिवहन एवं वस्तु–सूची प्रबंधन जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इस कार्य के लिए नेटवर्किंग एवं आउटसोर्सिंग की आवश्यकता पड़ती है। लॉजिस्टिक के लिए सिविल इंजीनियरिंग से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी, भंडारण, परिरक्षण, परिवहन जैसे कार्यों के लिए एवं फोर्क लिफ्ट, कनवेअर बैल्ट जैसी सुविधाओं के प्रचालन हेतु कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता रहती है। इसके अतिरिक्त, एक अच्छे लॉजिस्टियन को संबंधित क्षेत्रों के नियमों, अधिनियमों, कराधान प्रणालियों की भी जानकारी होनी चाहिए। वास्तव में यह उद्योग आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली का रूप लेता जा रहा है। यह कोई नई संकल्पना नहीं है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता हमेशा से रही है।

लॉजिस्टिक उद्योग की कई शाखाएं जैसे अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) लॉजिस्टिक्स, वितरण लॉजिस्टिक्स, उत्पादन लॉजिस्टिक, निपटान लॉजिस्टिक्स, बिक्री पश्चात् लॉजिस्टिक्स, हरित लॉजिस्टिक्स, ग्लोबल लॉजिस्टिक इत्यादि विकसित हो गई हैं, जिनकी अपनी अलग–अलग विशिष्टताएँ हैं। सैन्य बलों के लिए 'सैन्य लॉजिस्टिक्स' का अपना अलग महत्व है कि किस प्रकार विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर सैन्य सामग्री, खाद्य सामग्री तथा सैनिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

हमारे देश में अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में लॉजिस्टिक लागत अधिक है जिसका सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) पर भी प्रभाव पड़ता है। फिलहाल भारत में, लॉजिस्टिक लागत कुल जी.डी.पी. का 14 प्रतिशत है जबकि अमेरिका तथा अन्य देशों में 9 प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में, अंतिम प्रयोगकर्ता को 14 प्रतिशत तो लॉजिस्टिक लागत ही वहन करनी पड़ती है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित करनी है तो लॉजिस्टिक लागत में 2 प्रतिशत कमी आनी चाहिए। अतः इस उद्योग को प्रतिस्पर्द्धात्मक होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस क्षेत्र के लिए कराधान इत्यादि को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार जागरूक है।

जहाँ तक सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. का संबंध है, इसका प्रमुख सरोकार 'वितरण लॉजिस्टिक' से है। यह कम्पनी इस क्षेत्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सेवाएँ प्रदान कर भारतीय अर्थव्यवस्था को सम्बल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः कम्पनी ने दनकुनी (पश्चिम बंगाल) तथा दिल्ली के निकट गाजियाबाद में फलों तथा सब्जियों के परिरक्षण एवं परिवहन के लिए एक विश्वसनीय एवं किफायती शीत श्रृंखला स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित करने के लिए कई कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने की योजनाएं भी बनाई गई हैं।

आज देश में लॉजिस्टिक के क्षेत्र में अवसर तथा चुनौतियां दोनों ही हैं। यह कम्पनी के कार्मिकों पर निर्भर करता है कि वे इनका किस प्रकार लाभ उठाते हैं अथवा सामना करते हैं। रिटेल में एफडीआई की अनुमति मिलने तथा नए कैरियर अधिनियम से (उच्च मूल्य की वस्तुओं के लिए) इस उद्योग को नया आयाम मिलेगा, ऐसा अनुमान है।

यह उद्योग आउटसोर्सिंग तथा कांट्रेक्ट लॉजिस्टिक की ओर अब और तेजी से बढ़ रहा है। भविष्य में कोल्ड

* वरिष्ठ परामर्शदाता (राजभाषा), सीआरडब्ल्यूसी, नई दिल्ली

चेन, 3 पीएल आउटसोर्स एजेसियाँ संगठित क्षेत्र का रूप धारण करेंगी जिससे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी। अतः कम्पनी को नेटवर्क अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। इसके लिए नेटवर्किंग सोच की आवश्यकता है। ग्राहकों की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं में इज़ाफा होने से पारम्परिक उपायों से अब काम नहीं चलेगा। कम्पनी को विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला के लिए तत्पर रहना होगा जिसके लिए आधारभूत सुविधाओं का सृजन, सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर प्रयोग, बाजार से प्राप्त आंकड़ों की परिशुद्धता, नए उद्योगों की जानकारी तथा अपव्यय को रोकने जैसे क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। वेअरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेशन, यांत्रिकीकरण, उपयुक्त वर्कफोर्स मैनेजमेंट जैसे कार्यों को शीघ्र अंजाम देना आवश्यक है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लिमिटेड को अभी लम्बा रास्ता तय करना है। लेकिन जब इरादे बुलंद हों तो नई ऊंचाइयों को भी छुआ जा सकता है। ❑

सतर्कता का महत्व एवं क्रियान्वयन

सत्यपाल सिंह राठौर*

सतर्कता का शाब्दिक अर्थ है सतर्क रहना या सजग रहना। जीवन की शुरूआत में बचपन से ही माता–पिता एवं अध्यापकगण विभिन्न प्रकार की शिक्षा व संस्कार देते हैं। आप यदि याद कर सकें तो पायेंगे कि जीवन में सावधान रहने या सावधानी से कार्य करने या पढ़ाई में ध्यान देने या सावधानी से सड़क पार करने या सावधानी से गाड़ी (स्कूटर, बाइक या कार) चलाने की शिक्षा घर के मुखिया, अध्यापकों तथा सभी शुभचिन्तकों ने अनेक बार अवश्य दी होगी।

इसके बावजूद जीवन की भागदौड़ एवं आपाधापी में तथा मानवीय भूलों से, कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप हमें सड़क या रेल दुर्घटना या जीवन में अपेक्षित परिणाम न मिलना या नकारात्मक स्थितियों या परिणामों का सामना करना पड़ता है। इससे जीवन में दुःख, तनाव एवं अवसाद उत्पन्न होता है तथा जीवन बोझिल महसूस होने लगता है। कभी–कभी परिवार भी छिन्न–भिन्न हो जाते हैं। अतः यदि सतर्कता को जीवन आचरण में शामिल कर लिया जाये तो उपर्युक्त नकारात्मक स्थितियों से बचा जा सकता है तथा जीवन में दुखः व तकलीफों में कमी लाई जा सकती है।

सतर्कता या सजगता को जीवन में अपना लें तो कुछ दिन बाद जीवन का प्रत्येक कार्य विधिवत तथा व्यवस्थित होने लगता है। यदि आप नौकरी में हैं तो वांछित लक्ष्य हासिल करने में आप सफल होंगे और निरंतर प्रगतिशील रहेंगे। यदि व्यवसाय में हैं, तो आप व्यावसायिक सफलता का वरण करेंगे और आयकर, सर्विस कर तथा कानूनन असुविधाओं से बचे रहेंगे तथा समाज के शिरोमणि कहलायेंगे। कुल मिलाकर सतर्कता का पूर्ण जीवन में लाभ ही लाभ है।

शासकीय क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा कार्यों में नीति, प्रक्रिया एवं प्रक्रिया के क्रियान्वयन चयन के कुछ नियम निर्धारित होते हैं तथा प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी को इनके अनुरूप कार्य करके निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना होता है। अतः यदि ईमानदारी से निर्धारित समय पर नीति प्रक्रिया से निर्धारित कार्यों को सम्पादित किया जाये तो आपको सर्विस में कुछ असुविधा नहीं होगी। सभी कार्य तथा जीवन व्यवस्थित गौरव व सम्मानपूर्वक होगा किन्तु परिस्थितिजन्य स्थितियों को सुलझाने में, अव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलने में कभी–कभी पसीने छूट जाते हैं तथा कभी–कभी ईमानदार एवं समर्पित अधिकारी व कर्मचारी भी विभागीय जांच के घेरे में आ जाते हैं तथा अनेकों परेशानियां भी उठाते हैं।

इसके बावजूद व्यवस्थित जीवन के संचालन में सार्वजनिक क्षेत्र में सुशासन स्थापित करने में समर्पित भाव से सतर्कतापूर्ण जीवन ही कारगर औजार है। वर्तमान दौर में इस औजार से सार्वजनिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत जीवन को पटरी पर लाया जा सकता है। विभागीय सतर्कता का संक्षिप्त परिचय मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत है। किसी

* भंडारण एवं निरीक्षण अधिकारी, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र मे सतर्कता तीन प्रकार से लागू होती है–

1. सहभागी सतर्कता
2. निवारक सतर्कता
3. दण्डात्मक सतर्कता

सतर्कता के दृष्टिकोण से संक्षिप्त में बचाव हेतु कार्य/अप्रिय स्थितियाँ

1. कार्य के दबाव या कार्य की अधिकता से नियमानुसार कार्य सम्पादित न हो पाना।
2. निर्धारित कार्यों के प्रति घोर लापरवाही।
3. तुच्छ लाभ या क्षणिक लाभ के बदले में नियम विरुद्ध कार्य करना।
4. किसी व्यक्ति या समूह को अवाँछित लाभ या हानि पहुंचाना।
5. निर्धारित समय या उपयुक्त समय पर घटना/वस्तुस्थिति को सक्षम अधिकारी को सूचित न करना।
6. किसी विशेष लाभ के लिए निर्धारित नियमानुसार कार्य सम्पादित न करना।
7. निर्धारित विभागीय प्रक्रिया की उपेक्षा करके कार्य सम्पादित न करना।
8. प्राधिकारी का युक्तिसंगत/निर्धारित शक्तियों का अधिकाधिक प्रयोग या दुरुपयोग।
9. ज्ञात स्रोतों के अतिरिक्त अनुपातहीन सम्पत्ति एकत्रित करना।
10. निर्धारित व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना करना या उन्हें नष्ट करना आदि।

उपर्युक्त कार्यों के जाने–अनजाने में घटित होने पर सतर्कता अनुभाग / विभाग का कार्य शुरू हो जाता है। प्रकरण का अन्वेषण करना या करवाना विभागीय जांच सम्पादित करवाकर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत करना तथा निर्णय लागू करवाने का कार्य सम्पादित करवाना है।

सतर्कता सभी के लिये बहुआयामी रूप से लाभकारी है। यह विभागों, निगमों को आर्थिक हानियों से बचाती है। देश, समाज को पतन से बचाती है। नैतिक मूल्यों को बनाये रखने में मद्दगार है। सतर्कता विभाग, अधिकारियों / कर्मचारियों को संगोष्ठी, परिपत्रों के माध्यम से नियमों का पालन करने हेतु जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाता है।

हम सभी याद रखें– काम आप से ऊँचे दर्जे के आचार–विचार, नैतिक मूल्य, साफगोई और हमेशा अपना मूल्याँकन और आत्मपरिष्कार करने की मांग करता है।

आज भारत शून्य से शिखर की ओर अग्रसर है। भारतीय युवाओं ने कम्प्यूटर एवं आई.टी. क्षेत्रों में विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा में अपना गौरव पूर्ण स्थान बनाया है। स्वयं का रोजगार पाने के साथ अनेकों शिक्षित भाईयों के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न किये हैं। देश के लिये बहुमूल्य विदेशी मुद्रा जुटाई है। अनेक क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य किये हैं तथा भूमण्डलीकरण के दौर में भारत का नाम रोशन किया है। आप जहां और जिस पद पर कार्य कर रहे हैं, वहां रहते हुए भी भारत की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

उत्कृष्ट भारत का निर्माण मात्र कुछ विवेकशील, ईमानदार एवं कर्मठ युवाओं अधिकारियों एवं राजनेताओं से सम्भव नहीं है वरन् इस श्रेष्ठ कार्य के सम्पादन हेतु प्रत्येक राजनेता, अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिक के योगदान की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति एवं नागरिक का ईमानदार आचरण, निर्धारित कार्य का समय पर निष्पादन, निश्चित ही हमारे देश को विश्व में गौरवशाली एवं श्रेष्ठ भारत का दर्जा दिला सकता है।

अपने मनोबल के साथ अपने पद एवं योग्यता के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र को पहचान कर विभागीय नीति प्रक्रिया एवं प्रक्रिया के क्रियान्वयन को समझकर अपने आंबटित कार्य को समय पर सम्पादित करें– सफलता आपके चरण चूमेगी और विभागीय जांच तथा विभागीय रुकावटें आपसे कोसों दूर होंगी। ❑

- दूसरों के हित के लिए अपने सुख का भी त्याग करना सच्ची सेवा है।
- दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए पसन्द करते हैं।
- मनुष्य के रूप में परमात्मा सदा हमारे सम्मुख है, उनकी सेवा करो।

लक्ष्य एवं दूरदर्शिता से निगम के बढ़ते कदम

हरिमोहन*

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, यहां कृषि का अत्यन्त महत्व है। कृषि से प्राप्त उपज की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारण के क्षेत्र में एक बीज रोप कर ''केन्द्रीय भण्डारण निगम'' की स्थापना की गयी। हमारे निगम के कर्णधार भूतपूर्व अधिकारियों एवं वर्तमान में भी कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों ने सर्दी, गरमी व बरसात की परवाह न करके केन्द्रीय भण्डारण निगम के विषय में गांवों की टूटी–फूटी दयनीय सड़कों पर पैदल एवं साइकिल से गांव–गांव एवं शहर जाकर भण्डारण की विस्तृत जानकारी देकर अपने खून पसीने से निगम के इस अंकुरित नन्हें से पौधे को इस लक्ष्य के साथ संचित किया है कि केन्द्रीय भण्डारण निगम में भण्डारण, लॉजिस्टिक सेवाओं तथा सम्बन्धित कार्यकलापों के क्षेत्र में ग्राहकों की सन्तुष्टि के अनुरूप मूल्य संवर्द्धन सहित सम्पूर्ण गुणवत्तायुक्त सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकें।

सच है:–

''बुद्धि कलश में जल है, शीतल सुधा तरल है,
इसमें जो हो समाहित, वही गरल है।।
हज़रते इंसान के दिमागे शरीर में,
आब–ए–हयात भरा हुआ है,
लक्ष्य क्या? उद्देश्य क्या? क्या अर्थ?
यह नहीं यदि ज्ञात तो कार्य ही सब व्यर्थ।।''

लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निगम में कर्मठ अधिकारियों ने अतुलनीय एवं अथक प्रयासों से असंभव को भी संभव करने की प्रवीणता प्राप्त की है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में एक चुनौती का मुकाबला करना सरल एवं सहज कार्य नहीं है परन्तु मन में दृढ़ संकल्प और साहस है तो कर्मवीर की भांति अपनी मंजिल को पाया जा सकता है।

कवि ने सत्य ही कहा है कि–

''ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम,
सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी।।
सदा जो जगाए, बिना ही जगा है,
अंधेरा उसे देखकर ही भगा है।
गगन के बिहारी गरुड़ ही बनो तुम,
अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी।।

लक्ष्य के साथ–साथ निगम में दूरदर्शिता का होना भी अत्यन्त आवश्यक है, दूरदर्शिता से हमारा अभिप्राय भविष्य में आने वाले दूरगामी परिणामों से है।

दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ग्राहक/जमाकर्ताओं की प्रसन्नता पर विशेष बल देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बल के रूप में स्वीकृत भण्डारण अवसंरचना एवं अन्य लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार के अग्रणी संसाधक के रूप में खड़ा होकर ही दूरगामी परिणामों की प्राप्ति की जा सकती हैं। दूरदर्शिता के लिए चतुरता, उद्यमी, साहसी, वाकपटुता, धैर्य, बुद्धि, शक्ति एवं पराक्रम का होना नितान्त आवश्यक है, यदि यह सब गुण विद्यमान हैं तो ऐसे कार्यों में देवता भी साथ देते हैं।

संस्कृत के श्लोक से स्पष्ट है–

उद्यमं, साहसं, धैर्यं, बुद्धि शक्तिः पराक्रमाः।
षडेते यत्र विद्यन्ते, तत्र देवायः सहायकृताः।।

केन्द्रीय भण्डारण निगम लक्ष्य तथा दूरदर्शिता के अतिरिक्त उद्देश्यों से ओत–प्रोत है, यही कारण है कि बढ़ते कदमों से उन्नति करके यह निरन्तर उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर हो रहा है। निगम के उद्देश्यों से तात्पर्य है– वैज्ञानिक भण्डारण, लॉजिस्टिक सेवाओं एवं तत्सम्बन्धी अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए कृषि, व्यापार, उद्योग व अन्य क्षेत्रों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति करना, भण्डारगृहों में भण्डारित सामान पर बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भण्डारण जिससे कि कृषक एवं व्यापारी वर्ग आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकें।

उत्पादक एवं ग्राहक सन्तुष्टि में वृद्धि एवं भण्डारण तथा वितरण के दौरान होने वाली हानियों को कम करने के लिए कुशल मानव संसाधन प्रबन्धन उपलब्ध करवाना भी उद्देश्य की श्रेणी के अन्तर्गत ही आता है। इसके अतिरिक्त भण्डारण सेवाओं एवं संबंधित संभार तंत्र (लॉजिस्टिक) के क्षेत्र में उपस्थिति बनाना अति आवश्यक है। पेस्ट नियंत्रण सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाना तथा निगम में कम्प्यूटरीकरण द्वारा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना भी प्रमुख उद्देश्यों का एक भाग है।

हमारा निगम लक्ष्य, दूरदर्शिता एवं उद्देश्य के द्वारा ही अग्रसर होकर एक नन्हें से पौधे से बड़ा होकर एक विशालकाय वटवृक्ष हो गया है जिसकी शीतल छाया से आज समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी गौरवान्वित हैं और यदि हम हिम्मत से कार्य करेंगे तो शिखर पर अवश्य पहुंचेंगे।

किसी शायर ने सत्य ही कहा है–

कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता
एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों।।

यदि सब संगठित होकर तन–मन से कार्य करेंगे तो हम कह सकते हैं कि –

हम क्या थे, क्या हो गये, क्या होंगे अभी।
आओ मिलकर विचारें, समस्याएं सभी।।

* भण्डारण एवं निरीक्षण अधिकारी, सैन्ट्रल वेअरहाउस, बेस डिपो, सहारनपुर

पैस्ट कन्ट्रोल ऑपरेशन के पश्चात ग्राहकों द्वारा रखी जाने वाली सावधानियाँ

ऐसा करें

1. सभी खाद्य पदार्थों को एअर टाइट कंटेनरों में रखें अथवा पूरी तरह ढक कर रखें।
2. जिस क्षेत्र को कीटनाशक द्वारा उपचारित किया गया है, उससे बच्चों, वृद्धों, रोगियों एवं पालतू जानवरों को दूर रखें।
3. कृपया पैस्ट कन्ट्रोल ऑपरेटर से परिसर का पूरा क्षेत्र अर्थात् स्टोर, स्नानागर/शौचालय, शयन कक्षों आदि में छिड़काव/उपचार करवाएं।
4. पैस्ट कन्ट्रोल ऑपरेशन के पश्चात् परिसरों को कम से कम दो घण्टे के लिए बन्द रखें।
5. ऑपरेशन के दौरान फर्श पर बिखरे रसायन के घोल को हटाने के लिए फर्श को अच्छी प्रकार पोंछे/धोंए ताकि पालतू जानवरों, बच्चों आदि को विषैले तत्वों से बचाया जा सके।
6. परिसरों में प्रवेश करने से पहले सभी दरवाजे, खिड़कियां तथा रोशनदान खाले दें और लगभग एक घण्टे तक पंखे चला दें।
7. ऑपरेशन के लिए प्रयोग किए गए कीटनाशकों का नाम एवं गुणवत्ता के बारे में पैस्ट कन्ट्रोल ऑपरेटर से अवश्य पूछें।

ऐसा न करें

1. कीटनाशक द्वारा उपचारित क्षेत्र में विषैले प्रभाव से बचने के लिए पालतू जानवरों एवं बच्चों को न जाने दें।
2. रसोई के सामान को डिटर्जेंट एवं पानी से पूरी तरह धोए बिना प्रयोग न करें।
3. यदि कीटनाशक उपचार के समय कोई खाद्य पदार्थ अथवा अन्य खाने योग्य वस्तु बिना ढके रह गई है तो उसका प्रयोग न करें।
4. विषैले प्रभाव से बचने के लिए उपचारित कक्षों के दरवाजों, खिड़कियों अथवा दीवारों को न छुएं।
5. कीटनाशक उपचार के दौरान सामने खुले पड़े रह गए कपड़ों को न पहनें।

कहीं फिर ना खो जाँऊ भीड़ में

सुश्री स्नेह लता मिश्रा*

छप जाने दो हर दिल पर नाम मेरा।
बस यूं पैसों की बात कर मेरी कीमत को ना गिराया करो।
मेरा नाम बड़ा, मेरा काम बड़ा और है सम्मान बड़ा।
नीलामी के हर दाम से बड़ा–मन का भाव मेरा।
निर्भीक–निराकार, अदृश्य–साकार हर रूप मेरा।
कवि हूं, कवि रहने दो।
बस पैसों के बाजार में मेरी कीमत को ना तौला करो।
कलम से टूटे मोती की एक माला बन जाती है।
फूल बन कभी शब्द महकते हैं।
तो कभी दर्द से भरे आँसू बन जाते हैं।
खड़ा कर देती हूं दुनिया को विश्व शिखर पर
वरना खाक में भी नाम न ढूंढ पाओगे।
ढूंढ लो मुझे–हर दिल में छिपी कवि हूं मैं।
जान लो, पहचान लो।
तन्हाई में बैठी मिल जाऊगीं।
जान लो, पहचान लो।
कहीं फिर न खो जाऊं भीड़ में।

*सुपुत्री जे.पी. मिश्रा, कंप्यूटर ऑपरेटर (अनुबन्ध पर), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

अनुवाद की प्रासंगिकता, समस्याएं और समाधान

राकेश सिंह परस्ते*

यह प्रस्तुत लेख अनुवाद की प्रासंगिकता तथा अनुवाद कार्य में आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान के संबंध में एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है। आज हम जिस युग में रह रहे हैं उसे वैश्विकरण का युग, सूचना प्रौद्योगिकी का युग एवं उत्तर आधुनिकता का युग आदि कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार 'वसुधैव कुटुम्बकम' अर्थात् पूरा विश्व एक परिवार है। इस प्रकार वसुधैव कुटुम्बकम् की उपनिषदीय अवधारणा को साकार करने के लिए अनुवाद की उपादेयता स्वयं सिद्ध है। आज आधुनिक युग में वैश्विकरण होने के कारण सारा विश्व एक परिवार के समान हो गया है इसलिए प्रत्येक देश को एक–दूसरे से किसी न किसी कार्य के लिए सम्पर्क करना पड़ता है। निश्चित रूप से भाषा का जन्म व्यक्तियों में आपसी विचार–विनिमय के प्रयास से हुआ और अनुवाद का जन्म दो भाषा–भाषी व्यक्तियों या समुदायों में विचार–विनिमय को संभव बनाने के लिए हुआ। भाषा के अविष्कार के बाद जब मनुष्य और समाज का विकास–विस्तार होता चला गया और सम्पर्क एवं आदान–प्रदान की प्रक्रिया को फैलाने की आवश्यकता की जाने लगी, तभी अनुवाद ने जन्म लिया। अतः इसी क्रम में यदि इस युग को अनुवाद का युग कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विश्व भर में फैले अपार ज्ञान सम्पदा का प्रचार–प्रसार करने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय दर्शन, गणित, चिकित्सा, शिक्षा एवं साहित्य आदि शास्त्रों का ज्ञान विश्व के अनेक देशों में विशेषकर पश्चिमी देशों में तथा वहां पर हुए आधुनिक आविष्कारों की जानकारी भारतीयों को होना अनुवाद के द्वारा ही सम्भव हो पाया।

अनुवाद की प्रासंगिकता

निश्चित रूप से आज अनुवाद की प्रासंगिकता दिनों–दिन बढ़ती जा रही है। ऐतिहासिक रूप से साहित्य और सृजन की दिशा में अनुवाद और अनुवादक दोनों ही आदिकाल से ही प्रासंगिक रहे हैं। अनुवाद एक प्रकार का भाषाई दूत होता है जो अपने प्रयासों से किसी एक भौगोलिक चारदीवारी में सिमटती साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संपदा को भूगोल की सीमा से बाहर ले जाते हुए अन्य संस्कृतियों से अवगत कराता है। भारत देश बहुभाषी देश है। सांस्कृतिक विविधताओं वाले इस देश में हर राज्य या क्षेत्र अपनी–अपनी साहित्यिक समृद्धि एवं भाषाओं के साथ अलग–अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बटी हुई हैं। ऐसी स्थिति में अनुवाद ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इस सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विषमता की खाई को पाटा जा सकता है। यहाँ पर डॉ. गोपीनाथ के शब्द बहुत ही प्रासंगिक है– "भारत जैसे बहुभाषी लोगों के देश में अनुवाद की उपादेयता स्वयंसिद्ध है।"

हम सभी जानते हैं कि भारतीय अंग्रेजी लेखकों का साहित्य के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया जा रहा है। यह सब सिर्फ अनुवाद के माध्यम से ही दुनिया को भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की सम्पदा से उपलब्ध कराई जा रही है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक 'गीतांजलि' (1912) को मूलतः बंगाली भाषा में लिखा था और उन्होंने स्वयं अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया तथा इसी रचना के लिए उन्हें साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सिर्फ अनुवाद के द्वारा ही सम्भव हो सका। कई भारतीय लेखकों, उपन्यासकारों द्वारा अपनी मातृभाषा में रचित लेख एवं रचनाओं को हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाई जा रही है जो कि एक बहुत ही सराहनीय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा के दौर में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना है तो इसके लिए अपनी सम्पूर्ण सांस्कृतिक ऊर्जा का प्रदर्शन करना होगा। अनुवाद की जरुरत केवल साहित्य तथा अंतः सांस्कृतिक क्रियाकलापों के संवर्धन के लिए नहीं है बल्कि यह तकनीक एवं स्थानीकरण की प्रक्रिया के अभिन्न अंग बन चुके वैश्विकरण के परिदृश्य में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भी एक अत्यावश्यक साधन है।

* हिन्दी अनुवादक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

अनुवाद की समस्याएं

अनुवाद के विभिन्न रूप हैं लेकिन मुख्य रूप से अनुवाद दो प्रकार के होते हैं– साहित्यिक अनुवाद और साहित्येतर अनुवाद। इन दोनों प्रकार में अनुवादों में बहुत अंतर होता है। साहित्यिक अनुवाद में भावपरक अनुवाद को ज्यादा महत्त्व दिया जाता है जबकि शब्दपरक अनुवाद की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक इसके विपरीत साहित्येतर अनुवाद होता है। दो संस्कृतियों के बीच अनुवाद रूपी पुल के निर्माण में साहित्यिक अनुवाद की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि किसी भौगोलिक क्षेत्र का साहित्य उस क्षेत्र की संस्कृति, कला और रीतियों का प्रतिनिधित्व करता है। निश्चित रूप से साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्यिक अनुवाद में शामिल समस्त विधाओं के अतिरिक्त शेष विषय साहित्येतर विषय के अंतर्गत आते हैं इसमें मुख्य रूप से मानिविकी विषय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कार्यालयीन, वाणिज्यिक, वित्त, कानून आदि विषय आते हैं। इस प्रकार के अनुवाद में मूल व स्रोत भाषा के साथ–साथ संबद्ध विषय का भी पर्याप्त ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य होता है।

डॉ. नगेन्द्र अनुवाद कार्य के लिए तीन गुणों की आवश्यकता स्वीकार करते हैं : (1) मूल विषय का ज्ञान, (2) स्रोत और लक्ष्य भाषाओं पर अपेक्षित अधिकार, और (3) अभ्यास। इनमें अभ्यास को तो वे व्यक्ति सापेक्ष मानते हैं लेकिन विषयज्ञान और भाषाज्ञान के लिए विशेष साधन–उपकरणों की उसी प्रकार आवश्यकता मानते हैं जिस प्रकार भौतिक निर्माण कार्य के लिए औजारों की आवश्यकता होती है। विषयज्ञान की वृद्धि में मूल ग्रंथों के अतिरिक्त परिभाषा कोशों का अध्ययन आवश्यक होता है।

अनुवादक के सामने अनुवाद कार्य करते समय विभिन्न प्रकार की चुनौतियां एवं समस्याएं उत्पन्न होती हैं। डॉ. नगेन्द्र के अनुसार अनुवाद–कर्म में उपयुक्त पर्याय की चयन की समस्या सबसे प्रमुख है। ऐसी स्थिति में अनुवादक के सामने प्रश्न उठता है कि वह उपलब्ध पर्यायों में से वह किसका चयन करे। पर्याय निर्धारण का प्रमुख और मौलिक आधार है– सन्दर्भ। सन्दर्भ के द्वारा ही शुद्ध और उपयुक्त पर्याय का चयन किया जा सकता है। पर्याय निर्धारण का दूसरा आधार है– अनुवाद की भाषा की प्रकृति और उसका प्रायोगिक स्तर। अनुवाद की समस्याओं ने इसे बहुआयामी, बहुप्रयोजनी और बहुदिशात्मक बनाने के साथ–साथ विवादास्पद भी बना दिया है। संक्षेप में कहा जाए तो अनुवाद की तीन प्रमुख समस्याएं हैं– भाषागत, विषयगत और सामाजिक सांस्कृतिक। भाषागत व्याकरणिक रूपों से जुड़ी है। विषयगत समस्या के भीतर साहित्यिक और साहित्येत्तर विषय आते हैं और सामाजिक–सांस्कृतिक समस्या सबसे जटिल है क्योंकि इसमें दोनों भाषाओं के समाज, संस्कृति, परंपरा और जटिल–शैली का प्रश्न उठता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अनुवाद की अपनी विशिष्ट समस्याएं या कठिनाईयां भी होती हैं।

समाधान

हम सभी लोग कार्यालयीन विषयों के अनुवाद से जुड़े हुए हैं। अतः भारत जैसे बहुभाषी देश में यह बहुत ही आवश्यक है कि सरकारी कामकाज की एक देशव्यापी भाषा हो, जो सभी को स्वीकार्य हो। हिन्दी संघ की राजभाषा है। कार्यालयों में प्रयुक्त अंग्रेजी वाक्यों और वाक्यांशों के हिंदी अनुवाद सहज सुलभ कराने हेतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा केन्द्रीय हिंदी निदेशालय आदि के कार्य सराहनीय एवं उपयोगी हैं। अतः पर्याप्त शब्दावली का ज्ञान, लक्ष्य पाठक स्तर के मानसिक स्तर की जानकारी तथा विषय विशेष का अच्छा ज्ञान कार्यालयीन अनुवाद के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज कम्प्यूटर मशीनी अनुवाद द्वारा अनुवाद प्रक्रिया को सुगम एवं अत्यधिक गतिशील बनाने के लिए इस दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसन्धान हो रहे हैं। कम्प्यूटर द्वारा सम्पन्न अनुवाद को मशीन अनुवाद कहा जाता है। इनमें से मंत्र (MANTRA), सी–डैक पुणे द्वारा निर्मित कम्प्यूटर अनुवाद साफ्टवेयर, राजभाषा विभाग और मशीनी अनुवाद तथा गूगल अनुवाद प्रमुख हैं। मशीनी अनुवाद में इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस पर अनुवादक को पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए क्योंकि मशीनी अनुवाद पूरी तरह से सही नहीं होते हैं अतः हम सिर्फ मशीनी अनुवाद का सहारा ले सकते हैं, उस पर निर्भर नहीं हो सकते।

इसलिए भाषा भिन्नता के साथ ही भाषा विशेष की समाजिक, सांस्कृतिक और शैलीगत विशेताओं को समझना अनिवार्य होता है। सबसे उत्तम कसौटी का अनुवाद वह होता है जो कभी लगना नहीं चाहिए

कि यह अनुवाद किया हुआ है बल्कि पाठक को लगना चाहिए कि यह मूल रचना है। अतः कहा जा सकता है कि अनुवाद का कार्य एक भाषा की आत्मा (अर्थ) को दूसरी भाषा की काया में प्रवेश करने के समान है। अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु है। इस प्रकार वसुधैव कुटुम्बकम् की उपनिशदीय अवधारणा को साकार करने के लिए अनुवाद की उपादेयता स्वयंसिद्ध है। आज बिना अनुवाद के कुछ भी सम्भव नहीं है। आज वैश्विकरण के इस युग में उन्नायक के रूप में अनुवादक एवं अनुवाद की भूमिका निर्विवाद रूप से अति महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। वास्तविकतौर पर अगर देखा जाए तो अनुवाद–कर्म एक राष्ट्रीय कर्म है जो कभी एक राष्ट्र की संस्कृति को दूसरे राष्ट्र की संस्कृति से जोड़ने का काम करता है तो कभी एक समाज को दूसरे समाज के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। निश्चित ही यह साहित्य–संस्कृति के समृद्धि के सेतु का कार्य करता है। डॉ. हरिवंशराय बच्चन ने अनुवाद और अनुवादक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं "अनुवाद एक भाषा का दूसरे भाषा की तरफ बढ़ाया गया मैत्री का हाथ होता है! मैत्री का यह हाथ अधिकतम जितनी बार और जितनी दिशाओं में सम्भव हो सके बढ़ाया जाना चाहिए!" ❑

सैन्ट्रल वेअरहाउस हमारा

उमेश जाखड़*

जहां कीटमुक्त उत्तम गुणवत्ता वाले, खाद्यान्न का होता है भण्डारण,
जहां पर्यावरण संरक्षण को अपनाकर, शुद्ध वातावरण का दिया जाता है नारा,
जहां वैज्ञानिक पद्धति से भण्डारण कर, लम्बे समय तक रखा जाता है अनाज सुरक्षित,
जहां उपयुक्त और आवश्यक रसायनों का उपयोग कर, विषमुक्त रखा जाता है अनाज सारा
कुछ ऐसा है, 'सैन्ट्रल वेअरहाउस' हमारा...।।

जहां किसानों को प्रेरित कर, भण्डारण से होने वाले लाभ के बारे में है बताया जाता,
जहां सभी जाति के कर्मचारियों को, आपस में भाईचारे से है रहना सिखाया जाता,
जहां हिन्दी भाषा अधिक उपयोग कर, राजभाषा को अपनाने के लिए है, समझाया जाता,
जहां सुन्दर भविष्य को देखने के लिए, आज क्या है अपनाना बताया जाता,
कुछ ऐसा है, 'सैन्ट्रल वेअरहाउस' हमारा...।।

यहां आईसीडी और सीएफएस में है, आयात और निर्यात होता,
यहां जनरल वेअरहाउस में है, भण्डार अनाज होता,
आईसीपी वेअरहाउस के माध्यम से दो देशों के बीच है, व्यापार होता,
हर कर्मचारी पूरी निष्ठा से है निभाता, अपना दायित्व,
ऐसे ही तो सैन्ट्रल वेअरहाउस का रोशन है, नाम होता...।।

देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग है, बड़ा रहा,
विकासशील भारत को विकसित की राह पर लेके है जा रहा,
भण्डारण से होने वाले नुकसान को बचाकर,
बजट और बिजनेस को दिन–रात है बढ़ाये जा रहा,
अपना सैन्ट्रल वेअरहाउस देश में एक अलग ही पहचान है, बना रहा...।।

जय हिन्द!!

* कनिष्ठ तकनीकी सहायक, सैन्ट्रल वेअरहाउस, जेयपोर

- केन्द्रीय भण्डारण निगम की स्थापना 02 मार्च, 1957 को कृषि, उत्पाद (विकास एवं वेअरहाउसिंग अधिनियम, 1956) के अन्तर्गत की गई थी।
- केन्द्रीय भण्डारण निगम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मत्रांलय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- वेअरहाउस से अभिप्राय किसी बिल्डिंग स्ट्रेक्चर अथवा सुरक्षित अहाते से है, जिसका उपयोग जमाकर्त्ता के माल, भण्डारण के लिए किया जाता है।
- भण्डारण एक ऐसी गतिविधि है जो कृषि, व्यापार तथा उद्योगों के विकास से निकटता से जुड़ी हुई है।
- खाद्यान्न का रख-रखाव व वैज्ञानिक भंडारण ऐसी प्रक्रिया है जो किसी राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक है।
- जमाकर्त्ता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो वेअरहाउस में वेअरहाउसमैंन के पास माल का भण्डारण करता है।
- भंडारण की संकल्पना उतनी ही पुरानी है जितना की स्वंय मानव।
- कृषि एवं ओद्यौगिक कार्य-कलापों के क्षेत्र में वेअरहाउस एक महत्वपूर्ण घटक है।
- मानव जीवन के लिए प्रकृति का अनुपम उपहार खाद्यान्न है।
- उपजाओ-संभालकर रखो-खुशहाल बनो।

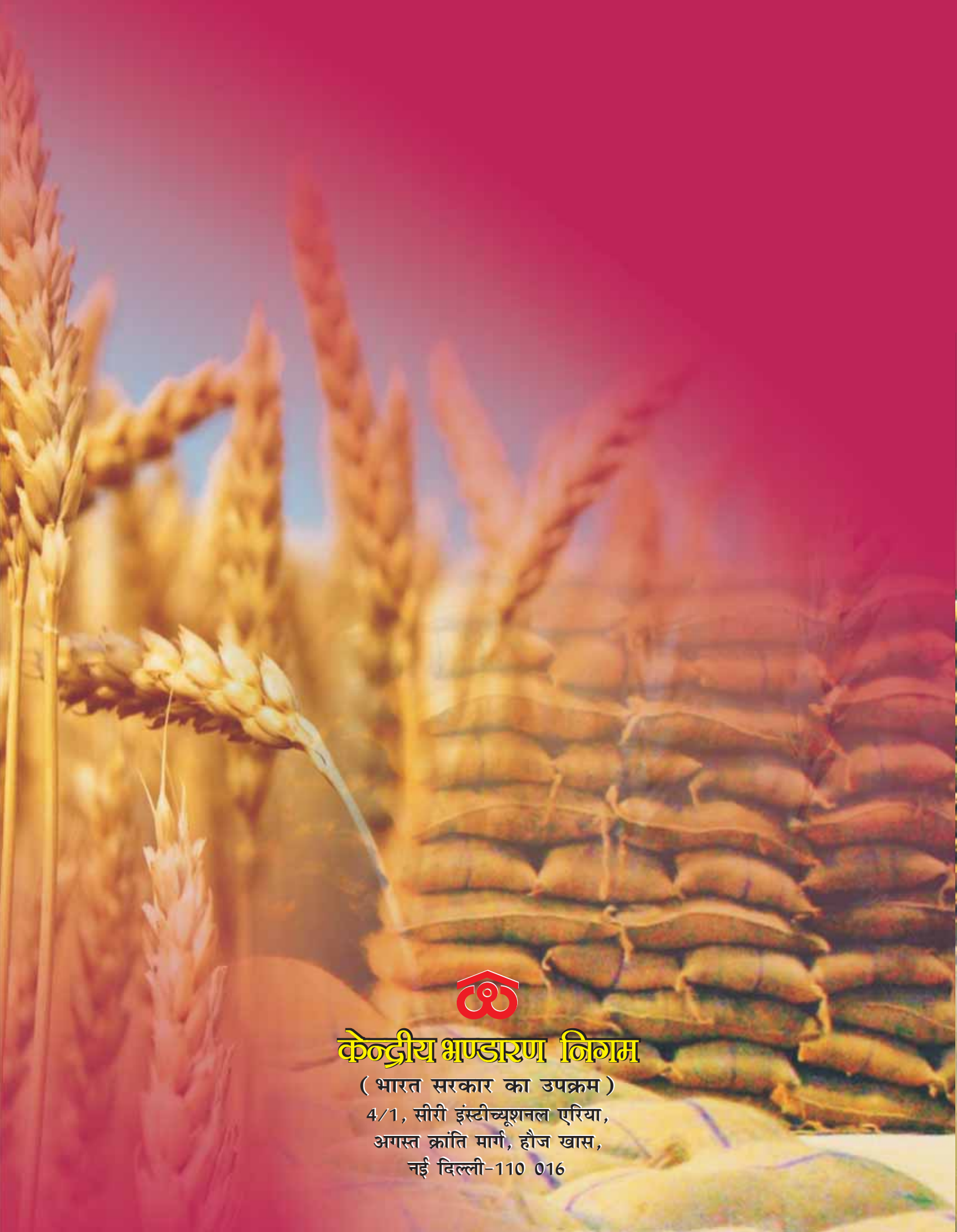

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास,
नई दिल्ली-110 016